राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4)   सप्तम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पहला दिवस   (संख्या 1

शनिवार

दिनांक 20 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 12.58 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

महामहिम राज्यपाल द्वारा सदन में दिये गये अभिभाषण व सदन पटल पर अभिभाषण की रखी जाने वाली प्रति में अन्तर

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, अभी राज्यपाल महोदय ने इस सदन को संबोधित किया है और कार्य सूची के अनुसार विधान सभा के सचिव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की अधिकृत प्रति इस सदन की मेज पर प्रस्तुत करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार जो प्रति प्रस्तुत की जा रही है, उस पर राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हो सकते हैं लेकिन जो कुछ उन्होंने एड्रेस किया है उसके अनुसार वह नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूँगा, आप चाहें, अध्यक्ष महोदय, उनका अभिभाषण देख लें, उसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में 11 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया जायगा....

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : 1500 हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : May be slip of tongue आप इसको एग्री कर लें कि it was a slip of tongue लेकिन आप उसको अधिकृत नहीं कह सकते। इसी प्रकार से कुओं के विद्युतीकरण की संख्या जो उन्होंने दी है, वह भी सही नहीं है। अभी ये कौनसी कापी रख रहे हैं ? जिसमें 11 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है, यह सही मान लिया जाय या 11 सौ कुओं का उल्लेख है उसको सही माना जाय ? इसका जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक जो प्रति रखी जा रही है वह अधिकृत नहीं है। यदि अधिकृत का अर्थ यह निकाला जाय कि जिस पर राज्यपाल महोदय ने अपने हस्ताक्षर कर दिये वह अधिकृत है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस को जो उन्होंने एड्रेस किया है, उसके अनुसार यह प्रति नहीं है। इसलिये जब तक सदन में इसका स्पष्टीकरण न हो तब तक इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा ऐसी रही

(श्री खेतसिंह राठौड़)
है कि महामहिम राज्यपाल महोदय, श्री रघुकुल तिलक जब यहां तशरीफ लाये थे तो एक सन्देश ....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रघुकुल तिलक ने कोई गलती कर दी हो इसलिये यह सदन गलती करता रहे, यह नहीं होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज रघुकुल तिलक का नाम लेने की आवश्यकता क्या है ? आप दूसरे राज्यपाल पर इस तरह से एस्पर्शन करना चाहते हैं, यह चीफ व्हिप के लिए उचित नहीं है।

(व्यवधान)

आप एडमिट करिये गलती को।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका आज ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ब्लड प्रेशर का कह रहे हैं लेकिन खुद को डीसेन्टरी हो रही है उसका इलाज कराना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन यह करना चाहता था कि जो भूतपूर्व महामहिम ने अभिभाषण पढ़े हैं, कई बार आया है ऐसा मौका, उससे पहले राज्यपाल महोदय हिन्दी नहीं जानते थे उनके लिए बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। वह एकाध सेन्टेन्स पढ़ देते थे। उसके बाद में हम हाउस वाले कह देते थे उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। तो ऐसी परम्परा भी रही है। अगर थोड़े से शब्दों में, गिनती में गलती हो गई तो उससे आप यह कहें कि पढ़ा हुआ न माना जाय, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। आज तो राज्यपाल महोदय ने 1 घण्टा और 15 मिनट शान से भाषण पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसका तो मुझे खेद है कि जैसी सरकार वैसे ही उसके मुख्य सचिव। मुझे निवेदन यह करना था....

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अच्छी सरकार के मुख्य सचिव अच्छे ही होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छी सरकार का नक्शा तो दिखा दिया राज्यपाल महोदय ने। उनके अभिभाषण में जो गलती हुई है उससे अनुमान लगा लेना चाहिये कि सरकार किस प्रकार की है। इसमें दो राय नहीं हो सकती जो मैं कह रहा हूं आप भी इससे सहमत हैं कि सरकार किस प्रकार की है। प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय, जो पहले आये थे, अस्वस्थ होने के कारण अपना पूरा भाषण सदन में नहीं पढ़ सके, इसमें दो राय नहीं हो सकती लेकिन सदन से अनुमति लेने के बाद, जब अनुमति दी गई तब सारा भाषण पढ़ा हुआ माना गया। अध्यक्ष महोदय, एक बात यह है जिसका मैं उल्लेख करना नहीं चाहता था, कोई भी राज्यपाल महोदय, आज तक जो सदन में आये हैं, ने बैठे-बैठे भाषण नहीं दिया। हम चाहते तो उस समय आपत्ति कर सकते थे लेकिन हम इतने डिकर्टिअस होना नहीं चाहते थे कि वे सदन को एड्रेस कर और उनको हम कहें कि खड़े

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

हो जायं। आज तक किसी राज्यपाल महोदय ने बैठे-बैठे हाउस को सम्बोधित नहीं किया। उन्होंने सदन की अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा, मैं यह विषय उन तक छोड़ता हूं।

लेकिन भाषण में कुछ गलतियां हुई हैं। राज्यपाल महोदय ने, स्पष्ट रूप से कहा कि 11 हजार गांवों का विद्युतीकरण होगा। अब उनका जो भाषण आया है उसमें 1100 हैं। कौनसी बात को सही माना जाय, इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप बता दें कि 11 हजार गांवों का विद्युतीकरण होगा या 11 सौ का होगा? यदि 1100 का होता है तो राज्यपाल महोदय ने 11 हजार की बात कही वह सही नहीं है। राज्यपाल महोदय कोई सही बयान न कहें, यह सदन की मर्यादा का प्रश्न बनता है, इस आधार पर आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण रखा जा रहा है सदन के समक्ष अथवा वह जो कुछ बोलें हैं उसमें अन्तर है। सर्वप्रथम तो स्थिति यह है कि यह भाषण सदन में अभी तक रखा ही नहीं गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुना है।

श्री अध्यक्ष : सुना है लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है यह तो आपने देखा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने देखा है, आप जो भी कह रहे हैं वह...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! जो माननीय सदस्य को अनुभव है कि बिजलीकरण किस तरीके से कितने गांवों का प्रति वर्ष किया जाता है उससे अनुमान लगायें...

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई अनुमान नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : अभी तक हमारे पास अधिकृत भाषण नहीं आया है, आपने इसके पहले ही एतराज किया, यह प्रिमैच्योर है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका एतराज है, आपने अनुमान लगा लिया कि इतने गांवों का विद्युतीकरण होगा. इसका अनुमान...

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कोई भी व्यवस्था दें, मेरा अनुमान नहीं है, यह तथ्य है।

श्री अध्यक्ष : आपका अनुमान ही हो सकता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई अनुमान नहीं है

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रतिलिपि तो मिली नहीं आपको। अभी तक कापी तो मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय ने जो कुछ भी भाषण में कहा है उसमें और लिखित अभिभाषण में कोई अन्तर है इसके क्या परिणाम होंगे इस सम्बन्ध में व्यवस्था जब वाद-विवाद होगा...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर अन्तर का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अभी वह परिस्थितियां नहीं आईं कि इसके लिए एतराज उठाया जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्वेश्चन गलत आथेन्टिकेशन का है । आथेन्टिकेशन गलत हो गया है। आथेन्टिकेशन गलत है। बोला है 11 हजार और आथेन्टिकेशन किया है 1100 का इसलिए आथेन्टिकेशन को चैलेन्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जब वाद-विवाद होगा राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर उस वक्त व्यवस्था देंगे। प्रिमैच्योर है आपका पाइन्ट।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी मर्जी की बात है। जब गवर्नमेन्ट कह रही है, गलती हो गई, स्लिप आफ टंग है,

श्री अध्यक्ष : खेतसिंह जी कह रहे हैं, गवर्नमेन्ट ने····

श्री भैरोंसिंह शखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि गवर्नमेन्ट मन्जूर कर रही है और आप, अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को गलती मंजूर करने के लिए विवश नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं स्लिप आफ टंग हैं, परसरामजी कहते हैं, स्लिप आफ टंग हैं। सब एडमिट करते हैं और एडमिशन के बाद भी आप स्वीकार नहीं करते हैं, इससे ज्यादा कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी; विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय, इसके बाद एतराज उठा सकते हैं जब अभि-भाषण पर वाद-विवाद हो।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट देखें।)

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ओला, पंचायत राज्य मंत्री! अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री, पंचायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम संख्या 63 (2) के अन्तर्गत निम्नांकित अध्यादेशों को सदन की मेज पर रखता हूं:–

(1) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 10, सन् 1981)

(2) राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 13, सन् 1981).

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिये वह यह कि पहले तो यह प्रेक्टिस थी, प्रथा थी कि भाषण की कापी यहीं मिल जाया करती

(श्री राज बहादुर)

थी। अब अध्यक्ष महोदय का आर्डर हुआ है कि सूचना कार्यालय से ले लें। इससे हम लोगों को असुविधा होगी। यहीं मिल जाय तो ठीक रहेगा।

शोकाभिव्यक्ति

भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहनलाल शर्मा, श्री लाल बहादुर सक्सेना, श्री करणसिंह, श्री सुगनचन्द जैन व श्री मावजी भाई के निधन पर शोभकाभिव्यक्ति।

श्री अध्यक्ष : अभी बंटवा दी जायेगी। श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री मोहनलाल शर्मा, श्री लालबहादुर सक्सेना, श्री करण-सिंह, श्री सुगन चन्द जन एवं श्री मावजी भाई के निधन पर शोकाभिव्यक्ति।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : मावजी भाई।

श्री अध्यक्ष : श्री मावजी भाई। पहले श्री मोहनलाल सुखाड़िया के निधन पर शोकाभिव्यक्ति की जायेगी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि की अजीब विडम्बना है कि जिस व्यक्ति ने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह से हिस्सा लेकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके पश्चात् राजस्थान के निर्माण में जिसका सर्वाधिक योगदान रहा, वह व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है।

इस माननीय सदन के नेता के रूप में उन्होंने सत्रह साल तक लगातार इस पिछड़े हुए प्रदेश की सेवा करके भारत के इतिहास में एक प्रशंसनीय कीर्तिमान स्थापित किया था। सुखाड़िया जी आजादी की लड़ाई में पहले 1938 के आंदोलन, उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में एक बहुत ही सशक्त स्वतन्त्रता सिपाही के रूप में राजस्थान में उभर कर आये और उन्होंने श्रद्धेय श्री माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में इस लड़ाई को प्रारम्भ किया।

एक लम्बे अर्से 32 साल तक मेरा उनका बहुत निकट का सम्बन्ध रहा। यदि मैं यह कहूं कि मेरे जीवन के निर्माण में उनका बहुत बड़ा प्रमुख हाथ रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1944–45 में और उसके बाद जब विद्यार्थी आन्दोलन में हम लोग सक्रिय थे, सुखाड़िया जी हमारा नेतृत्व किया करते थे। जब उदयपुर में मेवाड़ में आजादी के पहले ही प्रशासनिक रिफार्म लागू किये गये उस समय सुखाड़िया जी को मेवाड़ सरकार में मंत्री का स्थान दिया गया। 1938 में वे जेल गये, 1942 में जेल गये। आजादी के बाद वे राजस्थान की सरकार में निरन्तर रहे। केवल दो साल के अन्तराल के अलावा 28 नवम्बर, 1954 को वे राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। उन्होंने विरासत में पिछड़ा हुआ राजस्थान पाया। सुखाड़िया जी राजस्थान प्रदेश को अग्रणी प्रदेशों में स्थान देने का स्वप्न देखा करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में उस स्वप्न को साकार किया।

अध्यक्ष महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद राजस्थान को विरासत में पिछड़ापन मिला, राजस्थान को विरासत में अशिक्षा मिली और जो कुछ भी एक पिछड़े हुए प्रदेश की थाती हो सकती है वह सब कुछ विरासत में मिला। ऐसे पिछड़े

(श्री शिवचरण माथुर)

हुए प्रदेश को बनाने का जिम्मा सुखाड़िया जी के जिम्मे आया। उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ के साथ राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया मूक प्रारम्भ की। हमारे प्रदेश में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन, जागीरी जमीनों का अधिग्रहण भी उनके समय में सम्भव हो सका। जितने भी भूमि सुधार कानून उनके समय में प्रारम्भ किये गये उनके द्वारा राजस्थान, देश के अग्रणी प्रदेशों में रहा।

बड़े राजस्थान के बनने के बाद सेवाओं का एकीकरण जिस सूझ-बूझ के साथ उन्होंने किया वह इतिहास में प्रशंसनीय रहेगा। राजस्थान कैनाल हमारे प्रदेश की बड़ी बिजली योजनाओं, शिक्षा के विस्तार और प्रायः सभी विकास की योजनाओं का यदि मूल रूप से किसी को श्रेय जा सकता है तो वह सुखाड़िया जी को जाता है। सुखाड़िया जी न केवल राजस्थान के बल्कि देश के एक अग्रणी नेताओं में से थे। मेरी तो उनके निधन से जैसे एक व्यक्तिगत हानि हुई हो ऐसा मैं अनुभव करता हूं।

सुखाड़िया जी को यदि राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जो कुछ भी हम राजस्थान में देखते हैं उसका मूलतः इन्फ्रास्ट्रकचर बनाने का सारा श्रेय उनको आता है। वे 1952 से लगाकर 1971 तक इस माननीय सदन के सदस्य रहे और 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे। उन्होंने सदन में नई परम्पराओं का निर्माण किया। वह सबके प्यारे थे। जो भी कोई उनसे मिलने जाता, हंसकर के; मधु-मुस्कान से उसकी बात को सुनते और जहां तक सम्भव होता उसकी सहायता करने की चेष्टा किया करते थे। मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति उनसे नाराज हो, नाराज रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नाराज करने की बात नहीं की। विचारों में मतभेद किसी से हो सकता है लेकिन उन्होंने कभी व्यवहार में किसी से नहीं बिगाड़ा। मैं समझता हूं कि इस तरह का मिलनसार व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। सुखाड़िया जी के निधन से राजस्थान को ही नहीं, बल्कि देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है।

उन्होंने राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रपात किया। 12 अक्टूबर, 1981 को एक अजीब संयोग की बात है कि जिस समय राजस्थान में पंचायती राज को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा था उस समय सुखाड़िया जी अपना अन्तिम आशीर्वाद देने के लिए बीकानेर पधारे थे। मुझे याद है कि अपना भाषण देते-देते ही उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको अस्पताल में दाखिल किया गया। पूरी तरह से चिकित्सा की सुविधा दिलाने के बाद भी अन्दाज यह था कि वह प्रकृति के कोप से अपने आप को बचा सकेंगे, लेकिन तीन दिन के बाद में उस महामानव को प्रकृति ने हमारे बीच से उठा लिया। आज कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि सुखाड़िया जी हमारे बीच में नहीं हैं। 31 तारीख को जब मैं बीकानेर से रवाना हुआ उन्होंने एक ही बात कही कि मैं ठीक हो जाऊंगा, चिन्ता की कोई बात नहीं। अन्तिम क्षण तक उनका आत्मविश्वास इस बात का प्रतीक है कि जो कुछ भी उनका कार्यकाल रहा उसके अन्दर राजस्थान का एक बहुत ही उज्ज्वल भविष्य देखने की कल्पना किया करते थे।

(श्री शिवचरण माथुर)
बीमारी में हों या सदन से बाहर, हमेशा उन्होंने राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की और यह सोचा कि राजस्थान कैसे अग्रणी प्रदेशों में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है।

आज सुखाड़िया जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व कृत्य निश्चित रूप से हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सुखाड़िया जी के चलाये हुए कामों को आज हम पूरा करें यह हमारा कर्त्तव्य है। 1958 में उन्होंने राजस्थान कैनाल के काम को प्रारम्भ किया। हमारा दायित्व है कि उनके जितने भी छोड़े हुए काम हैं उनको हम पूरा करें और राजस्थान को एक हरा-भरा राजस्थान, उनकी आशाओं और उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल राजस्थान बनाने का संकल्प अपने आप में करें।

सुखाड़िया जी के लिये आज यदि मैं कहूं कि उनकी जिन्दगी एक पैगाम थी और उनकी मृत्यु भी एक पैगाम है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह काम करते करते हमारे बीच में से गये। उन्होंने अन्तिम क्षण तक कभी किसी को परेशान नहीं किया। अपना कार्य करते-करते वह यहां से गये हैं।

मैं समझता हूं कि यह समय तो हर एक के लिये आता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी क्षति की पूर्ति करना कठिन होता है जब समय से पहले हमारे बीच से चले जाते हैं तो सबको दुःख होता है। यह केवल उनके परिवार का दुःख नहीं है सारे राजस्थान का और सारे देश का भी दुःख है। मैं इस अवसर पर सुखाड़िया जी की आत्मा के प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उनको स्वर्ग में स्थान दें और उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें। उनके परिवार को जो दुःख हुआ, उनका परिवार केवल अपना परिवार ही नहीं समूचे राजस्थान का परिवार था इसलिए मेरी प्रभू से प्रार्थना है कि इस दारूण दुःख को सहने की हम सब को शक्ति दें, सारे राजस्थान को शक्ति दे और देश के लोगों को भी उनके काम के आधार पर चलने की प्रेरणा दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि आदरणीय सुखाड़िया जी के प्रति अर्पित करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): सबको साथ दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सुझाव यह है कि जितने भी दिवंगत हुए उन सभी को एक साथ श्रद्धांजलि दी जाय।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, दुःख है कि इस माननीय सदन के कुछ और भूतपूर्व सदस्यों का भी निधन इन दो सत्रों के बीच में हुआ। श्री मोहन लाल जी शर्मा, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे, सरदार शहर से चुनकर आये 1980 में, उनका जन्म 9 अगस्त, 1925 को हुआ था। वे एक बहुत ही सेवाभावी, समाज सेवक व्यक्तियों में से थे, एक भावना शील समाज सेवक थे। श्री शर्मा 1959 से 1973 तक चार बार नगरपालिका, सरदार शहर के अध्यक्ष चुने गये और उस काल में उन्होंने अपनी प्रशासिनिक कुशलता का परिचय दिया। वे इस सदन की राजकीय उपक्रम समिति के सभापति भी रह चुके थे और निधन के समय प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। श्री शर्मा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए

(श्री शिवचरण माथुर)
चेष्टाशील रहे। उनके निधन से हम लोगों को गहरा दु:ख हुआ।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दारूण दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, श्री लालबहादुर जी सक्सेना प्रथम राजस्थान विधान सभा के सांगोद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। उनका जन्म 1957 में बारैली में हुआ। वह अपने जीवन में सम्पूर्ण रूप से सामाजिक सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में समर्पित रहे वह कई वर्षों तक म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य रहे और ग्राम सभा के मंत्री रहे। उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास में विशेष योगदान दिया। उनकी कृषि में विशेष रुचि रही। मेरा तो उनसे कोई सीधा सम्पर्क नहीं रहा लेकिन जो जानकारी मिली है मुझे। उसके अनुसार वह इस सदन के सदैव जागरूक सदस्य रहे। उन्होंने समाज सेवा में हमेशा रुचि ली।

मैं उनके निधन पर गहरा दु:ख प्रकट करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दु:ख को सहने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक और इस सदन के महत्वपूर्ण भूतपूर्व सदस्य, श्री कुंवर करण सिंह जी का निधन हो गया। उनका जन्म 22 जनवरी, 1929 को जिला मुजफ्फरनगर ग्राम वसवा में हुआ था। वह भी 1957 से 1972 तक नगरपालिका, भरतपुर क्लब और लायंस क्लब के सदस्य रहे। वे पिछली विधान सभा में डीग से चुने गये। कुंवर करण सिंह जी की खेलों के प्रति रुचि रहती थी और वे मिलनसार व्यक्ति थे। भरतपुर में आम तौर पर लोग उनको कुंवर साहब के नाम से जानते थे। क्योंकि वहां उनका ब्याह हुआ था। वे आम लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। करण सिंह जी के निधन से हमको गहरा दु:ख हुआ।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दु:ख को सहने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सुगन चन्द जी जैन जो मेवाड़ के स्वतन्त्रता सेनानी रहे, ने स्वतन्त्रता आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया, कई बार जेल गये और उन्होंने अनेक यातनायें सहीं। बेगूं के आन्दोलनों में उन्होंने बहुत अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। श्री जैन इस माननीय सदन के बेगूं निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे। उन्होंने अक्सर अपना जीवन किसानों के सम्पर्क में लगाया। 1955 में जब राजस्थान में गाड़िया लुहारों को बसाने का एक कार्यक्रम चलाया गया उस समय उन्होंने उस कार्यक्रम में बहुत रुचि ली। उसके बाद उनको बसाने के लिये जो प्रयत्न किये गये उसमें उनकी गहरी दिलचस्पी रही। वह एक समाज सेवी और बहुत ही सक्रिय स्वतन्त्रता सेनानी थे। उनका निधन 14 अगस्त, 1981 को हुआ। हम सब लोगों को उनके निधन से गहरा शोक हुआ।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और

(श्री शिवचरण माथुर)
उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें।

इसी प्रकार सलूम्बर क्षेत्र से श्री मावजी भाई, जो 1977 में चुनकर आये थे, का भी निधन इसी बीच हुआ। वे तृतीय और चतुर्थ विधान सभा में सलूम्बर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में चुनकर आये थे। उनकी अभिरुचि जनजाति समाज की सेवा और कृषि उत्पादन में रही। मावजी भाई के निधन से हम लोगों को शोक है, दुख है।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया, श्री मोहनलाल शर्मा, श्री लाल बहादुर सक्सेना, श्री करण सिंहजी, सुगन चन्दजी जैन और मावजी भाई के प्रति जो श्रद्धांजलि का प्रस्ताव रखा है, जो भावनायें इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने व्यक्त की हैं, मैं अपने आपको उसमें सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सुखाड़ियाजी को किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की जाय, यह मेरे लिए बहुत ही समस्या का एक विषय है। 1952 से लेकर 1972 तक हम इसी सदन में आमने सामने बेठे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाये हैं, आघात कुठाराघात हुए हैं और राजस्थान का कोई भी विषय ऐसा नहीं होगा जिस विषय में हम चर्चा के भागीदार नहीं बने हों। सुखाड़ियाजी राजस्थान में और विशेषकर राजस्थान विधान सभा में जिस प्रकार की परम्पराओं को बना पाये हैं मेरा ऐसा विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, अन्य विधान सभाओं में इस प्रकार की परम्परायें कम ही हुई हैं। विरोधी पक्ष में और सत्ता पक्ष में किस प्रकार का व्यवहार रहे, विरोधी दल के सदस्यों और सत्ता पक्ष के सदस्यों में किस प्रकार का व्यवहार रहे इस बात की स्वस्थ परम्परा इस विधान सभा में किसी व्यक्ति ने अगर डाली तो उसका श्रेय सुखाड़ियाजी को ही दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई हमने प्रयत्न किये कि जब तक सुखाड़ियाजी इस सदन के नेता पद पर बैठे हैं उस समय हमें सफलता उसी हलत में मिल सकती है जबकि सुखाड़ियाजी किसी प्रकार से प्रोवोक हो जायं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि 20 वर्षों के निरन्तर प्रयासों के बावजूद इस बात के लिए हम असफल रहे, हम सुखाड़ियाजी को प्रोवोक नहीं कर सके। राजनीतिज्ञ इस सदन में आते हैं और चले जाते हैं लेकिन सुखाड़ियाजी जैसा राजनितिज्ञ, इस सदन में ऐसा कह सकता हूं, सहन शक्ति का ऐसा अद्भुत नमूना था कि चाहे जो कुछ भी कहा जाय उसका प्यार से उत्तर मिलता था। सदन में जोश आ जाय चाहे गुस्सा आ जावे, ऐसा लगता था कि उनके स्वभाव में ही नहीं बल्कि उनके खून में भी कहीं भी इस प्रकार की बीमारी नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा और मैं भी कहना चाहूंगा

श्री भैरो सिंह शेखावत)

मुख्य मंत्रीजी ने एक बात को बड़े ही सुन्दर शब्दों में कहा कि उन्होंने जो काम अधूरे छोड़े हैं हमें उनके कामों को पूरा करना है।

कई लोग सुखाड़ियाजी के बारे में स्मारक बनाने के बारे में और कई प्रकार की बातें करते हैं लेकिन सुखाड़ियाजी अपने पीछे बोलते हुए स्मारक छोड़ कर गये हैं। ऐसे स्मारक छोड़े हैं जो स्वयं बोलते हैं और जिनके कारण से एक व्यक्ति नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को राजस्थान में लाभ होता है। अध्यक्ष महोदय, आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान कैनाल के बारे में जो जानकारी है कोई भी आदमी आज दावा कर सकता है लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है और रहेगा कि महाराजा गंगासिंहजी ने गंग कैनाल को बनाकर राजस्थान नहर की योजना का सूत्रपात किया था। सुखाड़ियाजी सन् 1954 में मुख्य मंत्री बने और 1955 में रावी व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षर करके उन्होंने राजस्थान कैनाल की योजना को बनाकर महाराजा गंगासिंहजी के स्वप्नों को साकार करने का प्रयत्न किया था। राजस्थान के इतिहास में गंगासिंह जी और सुखाड़ियाजी का नाम जब तक रहेगा जब तक राजस्थान कैनाल रहेगी। जब तक इन तीनों नदियों का पानी राजस्थान में आता रहेगा और खेतों में जाता रहेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं जो सुखाड़ियाजी के नाम को भुला सके। मैं समझता हूं कि इससे बडी श्रद्धांजलि नहीं होगी कि पानी सूखे नहीं खेत सूखे नहीं इसका इन्तजाम करके वह चले गये।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सन् 1952 में बना था, 1947 में क्या था, मैं इसके विवरण में जाना नहीं चाहूंगा लेकिन राजस्थान में खेतड़ी कॉपर, हिन्दुस्तान कॉपर, हिन्दुस्तान जिंक्स, चम्बल परियोजनायें ये कुछ ऐसे बोलते नमूने हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे उन परिस्थितियों की जानकारी है कि किस प्रकार से यह योजनायें बनीं और राजस्थान सरकार को उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने मौका दिया, किस प्रकार उन योजनाओं की बुनियाद कितने संघर्षों के बाद रखी गयी, और किस प्रकार से इन योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न राजस्थान सरकार द्वारा किये गये। यह बोलते हुए स्मारक हैं तो कोई नया स्मारक सुखाड़ियाजी की स्मृति को ज्यादा जनता में ले जा सकेगा या उनको ज्यादा श्रद्धांजलि दे सकेगा ? मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई ऐसा स्मारक हो सकता है। सुखाड़ियाजी ने जिन स्मारकों की कल्पना की थी अगर उन स्मारकों को सुरक्षित रखा जाय, जिन स्मारकों के द्वारा राजस्थान के लोगों की सेवा करना चाहते थे अगर उन्हीं को पूरा किया जाय तो मैं समझता हूँ कि वह एक बहुत बड़ा स्मारक होगा। वही स्मारक की दृष्टि से और श्रद्धांजलि की दृष्टि से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं और यह सदन ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करता है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की चार दीवारी भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। यह सदन उन्हीं के समय बनाया हुआ है। उन्हीं की चोईस थी जिस समय वह सदन के प्रांगण में रेवेन्यू मिनिस्टर के समय से लेकर मुख्य मंत्री के रूप में, एक साधारण सदस्य के रूप में रहे। सन् 71-72 तक 20 वर्षों तक व इस सदन में एक सदस्य के रूप में रहे। इस सदन की चार दीवारी उनके प्रति

Page No.11

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आभार प्रकट करती है। इस सदन की चार दीवारी में उनकी आवाज आज भी गूंजती होगी। उन्होंने जो कुछ राजस्थान के लिए किया उसको लिखने पढ़ने की और कहने की कोई आवश्यकता नहीं है वह स्वयं अपने आप में बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज कई बार विवाद खड़े होते हैं। मुझे याद है कई मामलों पर सदन में ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे कोई हाथा-पाई हो जायगी, मुझे याद है कि आज भी मुझे ऐसा अनुमान था कि आज सदन के बाहर किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक वातावरण बनेगा लेकिन यह उस आदमी का व्यक्तित्व था जिसके कारण कि सारा वातावरण न केवल मित्रता में बदल गया। बल्कि मैं यह कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सहन शक्ति के रूप में उस व्यक्ति ने जिस प्रकार की मर्यादायें कायम कीं उस प्रकार की सहन शक्ति वाला व्यक्ति मेरी नजर में कोई नहीं हो सकता है। मुझे क्षमा करें, उस प्रकार की सहन शक्ति मुझे आज यहां किसी व्यक्ति में नजर नहीं आती है। आज थोड़ी-सी बात के लिए लोग आवेश में आ जाते हैं। थोड़ी-सी बात पर जवाब देने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई मैम्बर किसी मैम्बर को किसी प्रकार की बात कह देता है तो जब तक वह सदस्य उसका उत्तर उसी भाषा में नहीं दे देता तब तक उस मैम्बर को सन्तोष नहीं होता। सबसे बड़ी बात जो उनमें थी वह थी लोकतन्त्र में उनकी जबर्दस्त आस्था। आज मैं इस परिप्रेक्ष में नहीं कह रहा हूं कि, अध्यक्ष महोदय, आज देश में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस परिप्रेक्ष में निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि वह व्यक्ति लोकतन्त्र के लिये पैदा हुआ था। जिस तरह से उन्होंने काम किये वे सारे के सारे काम ऐसे थे कि उन कार्यों में हर जगह लोकतन्त्र नजर आता था। उनकी प्रजातन्त्र में बहुत आस्था थी, मुझे, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है कि जो आल इण्डिया रेडियो वालों ने यहां कहा था तब मैंने जो कहा था उसका उदाहरण मैं यहां पर कोट करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, जब गंगानगर के लोगों ने आन्दोलन किया था उस समय इस विधान सभा में हमने कई प्रस्ताव रखे और कहा कि सरकार को वह प्रस्ताव मान लेना चाहिये या यह प्रस्ताव मान लेना चाहिये उस समय सुखाड़ियाजी ने एक वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं आन्दोलन के सामने बिलकुल नहीं झुकूंगा। खैर, आन्दोलन चला और समझौता हुआ। मैंने इन्हीं बैन्चेज पर खड़े होकर कहा था कि सुखाड़ियाजी आज आपको आन्दोलन के सामने झुकना पड़ा। उस व्यक्ति ने झुकने की इस बात को महसूस किया और कहा कि लोकतान्त्रिक शक्तियों के सामने झुकने में मैं अपने आपमें गौरव महसूस करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि उस व्यक्ति के भाव और भावनायें क्या थीं, यह उनकी व्यक्तिगत भावनायें थीं उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति में किस प्रकार की लोकतन्त्र की भावना थी। अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में मुख्य मन्त्री होते हैं, मन्त्री होते हैं, सरकार होती है और विरोधी पक्ष के लोग भी होते हैं और विरोधी पक्ष जनता की आवाज को भी बुलन्द करता है लेकिन उस आवाज को, विरोधी पक्ष की आवाज को यह समझ कर नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता क्योंकि

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह विरोधी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। सुखाड़ियाजी ने इस प्रकार की परम्परायें नहीं डालीं, इस आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सदन में या बाहर सहन शक्ति का प्रतीक हो जिसको कभी किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आया, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे लम्बे राजनैतिक जीवन में लोकतान्त्रिक परम्पराओं का निर्वाह किया। मैं कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति राजनैतिक क्षेत्रों में सुखाड़ियाजी थे।

जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कहा वह सन् 45-46 में मेवाड़ प्रतिनिधि सभा में राज्य के मन्त्री बने तबसे, उस समय से निरन्तर सन् 1971 तक वे मन्त्री बने रहे। सन् 72 में वह राज्यपाल बने और पांच वर्ष तक राज्यपाल रहे और इस सारी लम्बी अवधि को देखने से ऐसा लगता है कि उनमें कई विशिष्ट गुण थे जिस प्रकार का उनका लम्बा राजनैतिक जीवन चला था, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि उतने लम्बे राजनैतिक जीवन में कभी उनके परिवार के लोग बीच में नहीं आए। राजनीति में आप हम सभी आते हैं किन्तु राजनीति के अन्दर आने के बाद परिवार के लोगों का उसमें हस्तक्षेप नहीं हो इस बात की क्षमता वाले लोग बहुत ही विरले होते हैं।

मुझे याद है अच्छी तरह से, एक बार, अध्यक्ष महोदय, उनके परिवार के व्यक्ति ने किसी सरकारी काम में हस्तक्षेप करा। मैंने उनको पत्र लिखा। पत्र का उत्तर पत्र से नहीं दिया। जो हस्तक्षेप किया उसको निरस्त किया और निरस्त करने के बाद में क्योंकि उस समय सदन की कार्यवाही चल रही थी, मुझे उन्होंने पत्र नहीं लिखा और मैं जहां बैठा था वहीं आ गये और कहने लगे कि आपने पत्र लिखकर मेरी बहुत सेवा की है। मैंने इस पत्र के आधार पर सारे परिवारजनों को भविष्य के लिए आगाह कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसी पत्र को लेकर कोई यह भी समझ सकता था कि मेरे परिवार के ऊपर आक्रमण किया गया है किन्तु इसी पत्र को यदि इस रूप में उन्होंने लिया कि आपने पत्र लिख कर मेरी और मेरे परिवार की सेवा की है जिसके आधार पर मैंने मेरे परिवार के सदस्यों को आगाह कर दिया है तो यह बड़प्पन की निशानी है। मैं समझता हूं कि जिस क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, राज्यपाल के रूप में भी काम उन्होंने कर्नाटक में राज्यपाल बन कर किया। स्वयं मैं उस समय एक बार गया था। कर्नाटक में जितने भी राजस्थान के लोग थे छोटे से लेकर बड़े आदमी को वह नाम से जानने लग गये, मैंने कहा, सुखाड़िया जी यह आपने क्या किया? प्रांतीयता यहां क्यों फैला दी? कहने लगे कि प्रांतीयता नहीं आत्मीयता फैलाई है। कर्नाटक में रहकर प्रादेशिक भावनाओं को उभार नहीं सकता लेकिन कर्नाटक में राजस्थान का हूं इस कारण से जो आत्मीयता का विस्तार मुझे करना चाहिए वही किया। मैंने केवल आत्मीयता का विस्तार किया और उसी का परिणाम है कि आज कर्नाटक में राजस्थान के किसी भी व्यक्ति के यहां यदि कोई शादी अथवा उत्सव होता है और निमंत्रण-पत्र मेरे पास आता है तो मैं प्रयत्न करता हूं कि हर निमंत्रण-पत्र के अनुसार उस शादी उत्सव में मैं सम्मिलित होऊं। आन्ध्र प्रदेश में भी वही स्थिति हुई। थोड़े से दिनों के लिए वह तमिलनाड में गये वहां भी हमारे जयपुर के साथी जौहरी रहते हैं।

Page No.13

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
उनमें से मुझे कुछ व्यक्ति मिले। कुछ ऐसा समझने लग गये कि जैसे राजस्थान का व्यक्ति तमिलनाड के अन्दर हमारा प्रतिनिधि होकर आया है। तब यह सब महसूस करने लगे कि हमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। राजस्थान के व्यक्ति बहुत बाहर गये, बहुत लोगों को शासन करने का अवसर मिला लेकिन इस प्रकार की भावना वहां के लोगों में पैदा करना यह आसान बात नहीं है इसके लिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि वह बाहर गए तो उन्होंने राजस्थान का दृष्टिकोण अपने सामने रखा और रखा ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बारे में गवर्नर के रूप में चिट्ठी लिखने वाला कोई राजस्थान में पैदा हुआ तो वह मोहन लाल सुखाड़िया था। राजस्थान की किसी विकास परियोजना में भारत सरकार कोई हस्तक्षेप करके यदि कोई कटौती कर दे उस हालत में एक राज्य का गवर्नर दूसरे राज्य के लिए लिख दे इस प्रकार का उदाहरण कहीं देखना है तो राजस्थान की सरकारी पत्रावली में मिलेगा, गवर्नर के रूप में केन्द्रीय सरकार और प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि अमुक क्षेत्र में राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिये। राजस्थान की विकास योजनाओं के बारे में भारत सरकार से उनका पत्र व्यवहार चलता रहा।

जब वह संसद सदस्य बने तो मैं एक बार उनसे मिला और उनसे कहा कि, सुखाड़ियाजी, एक शिकायत हमेशा राजस्थान में रही है कि केन्द्र में राजस्थान की लाबी अभी तक मजबूत नहीं बन पाई जितनी कि अन्य राज्यों की लाबी बनी है। उन्होंने कहा बात बिलकुल सही है। मैं इस ओर प्रयत्न कर रहा हूं। समाचार-पत्रों से ही जानकारी मिलती थी कि राजस्थान का कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बोले या पत्र लिखे या व्यक्तिश: सम्पर्क करके किसी मंत्री से इस सम्बन्ध में चर्चा करे। राजस्थान की लाबी बनते-बनते वह हमारे बीच में से चले गये। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए ऐसे मौके पर, जिस समय राजस्थान कई दुविधाओं में फंसा हुआ है, राजस्थान के सामने कई प्रकार के संकट हैं, उस समय सुखाड़ियाजी की एबसेन्स या सुखाड़िया जी का अभाव राजस्थान के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ईश्वर की जो भी स्थिति है उस पर किसी का बस नहीं चलता है। वह हमारे बीच में से चले गए। मैं उनको सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता हूं। मैं मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनका शोक संतप्त परिवार इस दुख को सहन कर सके इस प्रकार की उसे शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, इसी नाम के मेरे दूसरे मित्र श्री मोहनलालजी शर्मा थे, जो कि 1977 में राजस्थान विधान सभा के सदस्य चुनकर आये। एक अनुभवी व्यक्ति थे। सरदारशहर नगरपालिका के अध्यक्ष रहकर उन्होंने इस क्षेत्र में जिस प्रकार की सेवा की है उस सेवा की गिनती नहीं कराई जा सकती। उस सेवा को सरदारशहर में जाकर आंखों से देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस व्यक्ति की उस व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में सेवा नहीं की हो। एक निडर व्यक्ति थे, कोई राजनैतिक आधार पर उनको दबा ले, यह सम्भव नहीं था। उस आदमी को कोई धमका कर काम करवा ले, यह सम्भव नहीं था।

Page No.14

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, अध्यक्ष महोदय, आर्मी में एक प्रावर्व है कि जो आर्मी का सिपाही है और घुड़सवारी में मरता है वह सीधा स्वर्ग में जाता है। घोड़े पर सवार हो जिस सिपाही की मृत्यु हो जाये वह सीधा स्वर्ग में जाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि श्री मोहनलालजी शर्मा और श्री मोहनलालजी सुखाड़िया दोनों के लिए ही कहना चाहूंगा कि एक पंचायती राज सम्मेलन को एड्रेस करने गये वहां बीमार हो गए, एक सुजानगढ़ में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने गये और माइक से उनका 15 कदम का ही फासला था। वह 15 कदम भी नहीं पहुंच पाये और हार्ट अटैक हुआ और वह वहीं खतम हो गए। मैं ऐसा समझता हूं कि उस व्यक्ति ने भी राजस्थान विधान सभा में रहकर अपने क्षेत्र का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व किया है और उनकी सेवाओं को हम नहीं भुला सकते। मेरे साथी थे और इस प्रकार के निधड़क साथी थे। मुझे याद है, मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि जो आदमी निधड़क होकर कुछ भी पार्टी में कह दे, किसी बात का डर नहीं वह व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया मुझे इसका बहुत दुख है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें इस सम्बन्ध में प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री लालबहादुर जी सक्सेना 1952 से 1957 तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। मैं भी उस समय विधान सभा का सदस्य था। मैं अच्छी तरह से उनसे परिचित हूं। जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि शरणार्थियों के मसले को लेकर विधान सभा में वह लगातार प्रयत्न करते रहे कि इन शरणार्थियों की पुनर्स्थापना ठीक प्रकार से हो। वह भी हमारे बीच से उठ गये। मैं उन के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें इस बात की प्रार्थना करता हूं।

श्री करणसिंहजी 1972 से 1977 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं। मेरा सदस्य के रूप में तो उनसे परिचय नहीं रहा लेकिन अस्वस्थता की हालत में दो-तीन बार मैं उनसे हास्पिटल में मिला हूं और वहां मेरा उनसे परिचय हुआ। बड़े सहृदय व्यक्ति थे, काफी सक्रिय थे। जिस मसले को लेकर उस व्यक्ति ने कई बातें इस सदन में और सदन के बाहर रखीं उनकी गम्भीरता को सभी लोगों ने पहचाना है और माना है। वह भी हमारे बीच में से उठकर चले गए। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री सुगनचन्दजी जैन भी मेरे साथी, सदस्य रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि दुर्भाग्य से मेरे और श्री माणिक्य लालजी वर्मा के बीच एक बार विवाद खड़ा हुआ। जब उस विवाद का स्पष्टीकरण हुआ तो मुख्य मन्त्रीजी जानते हैं कि हमारे बीच में इतना स्नेह बन गया कि मेरे घर पर यदि पांच बजे बैल लगती थी तो सारे घर वाले समझते थे कि वर्माजी आये हैं। मैं यदि कहीं चला गया और वर्माजी को पता लग गया कि मैं आया था और नहीं मिला, तो इस सारे झगड़े की मध्यस्थता जिस व्यक्ति ने की वह सुगनचन्दजी जैन ने की।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माणिक्यलालजी वर्मा ने कहा कि सुगनचन्दजी जैन जो कह देंगे मन्जूर है। उनमें भी मेरा विश्वास था कि जो वह कह देंगे वह मुझे मन्जूर है। उन्होंने एक मिनट में ही फैसला कर दिया और आइन्दा से हमेशा हम एक हो गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के हित की चिन्ता करो। मैं उनको कभी भुला नहीं सकता और उस घटना को भी नहीं भुला सकता जिस घटना की इस सदन में चर्चा हुई है। उस व्यक्ति ने एक ही लाइन में सारी बात को खतम कर दिया। मैं उनकी आत्मा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें इस तरह की प्रार्थना करूंगा।

श्री मावजी भाई से, मैं समझता हूं, सब परिचित हैं। उदयपुर क्षेत्र से यदि कोई व्यक्ति यहां बैठा रहा तो वह मावजी भाई थे। उनके बेटे को देखते ही उनकी याद आती है। वह बोलते भी बिलकुल मारवाड़ी में थे। आज कई लोग राजस्थानी की चर्चा करते हैं। वह व्यक्ति तो राजस्थानी के ऊपर मेवाड़ी भाषा बोलते थे। मेवाड़ी वेशभूषा थी, मेवाड़ी आचरण था और किसानों के प्रतीक के रूप में किसानों की समस्या को जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने समझा या रखा वह वास्तविकता थी। मैं समझता हूं कि वह भी हमारे बीच से चले गये इसका हम सब को दुख है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को उनकी मृत्यु के कारण जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री राज बहादुर (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी अभी श्री मोहनलालजी सुखाड़िया की स्मृति में सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता ने कहा है उससे अधिक भावनायें व्यक्त करने में मैं असमर्थ हूं। जो कुछ कहने योग्य बातें थीं, दोनों महानुभावों ने थोड़े में कह दीं। सुखाड़ियाजी स्वर्गवासी हो गये इस बात का स्मरण करते हुए ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक शून्य हो गया है। वास्तविकता तो यह है कि सारे राजस्थान के जीवन में ही एक शून्य सा हो गया है। कौन भर सकता है सुखाड़ियाजी का स्थान? जब से वे स्वाधीनता आन्दोलन में आये सर्व प्रथम वह दिन मुझे याद आते हैं जब हम लोग विभिन्न राज्यों में थे उस समय की जो व्यवस्था थी, अंग्रेजों का शासन था उन दिनों सर्व प्रथम मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। पार्टी में मन मुटाव भी हुए। यह उनकी उदारता रही कि मतभेदों की बात के बावजूद जब भी विकास की बात आयी, राजस्थान को बढ़ाने की बात आयी वे कभी पीछे नहीं रहे। बल्कि हम चाहे पीछे रहे वे आगे रहे। आज यह कहने का मौका मिलता है कि सुखाड़िया जी न केवल कुशल शासक ही थे, व्यवहार कुशल थे बल्कि सच्चे हृदय वाले आदमी थे जिन्होंने इस बात की कोशिश की कि उनकी कथनी और करनी में कम से कम अन्तर रहे, जिन्होंने महज किसी विपक्ष की भावना से कोई भेद-भाव नहीं किया।

मैं यह बहुत ही नम्रता के साथ कहता हूं कि जो अभी शेखावतजी ने कहा, शिवचरणजी ने कहा वह बड़ा भावपूर्ण है। वास्तव में इतिहास में सुखाड़ियाजी का नाम कोई मिटा नहीं सकता।

(श्री राजबहादुर)

मैं इन शब्दों के साथ दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में श्री मोहनलाल शर्मा, श्री लाल बहादुर सक्सेना, श्री सुगन चंदजी, श्री मावजी भाई मेरे व्यक्तिगत सम्पर्क में नहीं आये, श्री कुंवर कर्णसिंह जी को बहुत समीप से जानता हूं, वह हमारे मेहमान कहलाते थे। मैं इस बात का गौरव अनुभव करता हूं कि उनके सम्पर्क में रहा। वह व्यवहार में बड़े मृदुल और स्नेही थे। उनके और मोहनलालजी, श्री लाल बहादुरजी, सुगन चंदजी, मावजी भाई के संतप्त परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट करता हूं। उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करता हूं।

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी और अन्य साथियों ने श्री मोहनलाल सुखाड़िया और अन्य दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है उसमें अपने आपको शामिल करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री मोहन लालजी सुखाड़िया के निधन से न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई। मेरा सुखाड़ियाजी के साथ व्यक्तिगत बहुत लम्बा सम्पर्क रहा। राजनैतिक ही नहीं, सामाजिक, व्यावहारिक और भाई चारे का भी संबंध रहा। राजनीति में जब से मैं आया, मैंने उनको नेता के रूप में माना और हर समय उन्होंने अपनी गाइडेन्स, संरक्षण देने में कोताई नहीं की। विधान सभा के सदस्य की हैसियत से उनके साथ मैं रहा। उनकी खिलाफत में भी रहा, उनकी पार्टी में भी रहा। दोनों ही दशाओं में उनकी विलक्षण बुद्धि और विलक्षण कार्य करने की प्रणाली को मैंने देखा, जो सराहनीय थी। उनकी राजनीति में कुछ विशेषतायें थीं जो अन्य किसी नेता में आज तक देखने को नहीं मिलीं। पहली बात तो उनमें राजनीति में बदला लेने की भावना कहीं नहीं थी। मुझे याद है वह क्षण, हमारे जिले में एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता ने जिलाधीश के खिलाफ एक अभियान चलाया और भूख हड़ताल पर बैठ गये। सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने जिले के सभी एम. एल. एज. को बुलाया। एक मीटिंग रखी और उसमें सब विधायकों के विचार जानने का प्रयास किया। हमारे एक विधायक इस बात पर अड़ रहे थे कि जिस महान् नेता ने यह अभियान चलाया है उसके खिलाफ एक फाइल राज्य सरकार के पास मौजूद है। वह फाइल निकालकर मुझे दे दीजिए यह राजनेता भूख हड़ताल के बजाय सींखचों में रहेंगे। उन्होंने सुन लिया और बात बदल दी। दुबारा वही बात जब उस सदस्य ने दोहराई, तो फिर बात बदल दी। तीसरी बार जब फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते, फाइल क्यों नहीं निकालते तो सुखाड़िया जी ने कहा कि मिस्टर इतने वर्षों में हमारे साथ रह कर भी तुमने सुखाड़िया को नहीं समझा। मैंने हीरालालजी शास्त्री से बदला लेने की कोशिश नहीं की, जयनारायण व्यास से बदला लेने की कोशिश नहीं की, पालीवालजी से बदला लेने की कोशिश नहीं की। इस आदमी से बदला लेने की कोशिश करूंगा, मुझे बदनाम करना चाहते हो। मैं यह काम कभी नहीं करूंगा। बदला नहीं लूंगा। सिर्फ सही और सच्ची बात कहकर उनको लाजवाब करूंगा। बदले की भावना नहीं रखूंगा। यह बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा जब-जब हम गुस्से में आकर उनके पास जाते जरूर लड़ाई करके आये। हमारे

(श्री हजारी लाल शर्मा)

काम जो हमने सोच रखे हैं जिनके लिये हम बार-बार प्रयत्न कर चुके हैं वे नहीं हुए। निश्चित रूप से लड़ाई करके आयेंगे। लेकिन जिस गुस्से के साथ हम जाते, वहां जाते ही आधा गुस्सा तो अपने आप खतम हो जाता उनकी मुस्कान को देखकर, हमारी बात को सुनकर जो उत्तर देते वह इतना मीठा होता कि काम न होते हुए भी जब हम वापस आते तो हंसते हुए आते। गुस्सा नहीं रहता। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, उनके प्रशासन में जो एक विशेष कुशलता थी वह भी इतने वर्षों में देखने को नहीं मिली। जिस जिलाधीश की हम शिकायत करते, जिस एस. पी. की हम शिकायत करते, हमारी बात को बड़े ध्यान से, गौर से सुनने का प्रयास करते थे। वे एक से सुनते थे, दूसरे से सुनते थे, तीसरे से सुनते थे तब मन में तय कर लेते थे अवश्य सच्चाई यह है। उस सरकारी अधिकारी को बुलाते थे और यह पूछते थे कि आप कहां जाना चाहते हैं। हमारे कहने से उनको बाड़मेर नहीं भेजते थे। उस अधिकारी को उतना ही सम्मान देते थे और पूछते थे कौन सी जगह जाने में कोई नुकसान नहीं है। नतीजा यह होता था कि कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारी दोनों का विश्वास उनके अन्दर निहित होता था और दोनों को मानते थे।

इसके अतिरिक्त राजस्थान के जितने जिले हैं उन जिलों के अलग-अलग कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते थे झुंझुनू जिले में जो आदमी सर्वोपरि है, मिनिस्टर है या बहुत बड़ा नेता है उसके खिलाफ जो लोग हैं, उनमें कौन कौन लोग हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं–इस बात को वे पूरी तरह जानते थे और जब एक नेता शिकायत करता था दूसरे की तो वे उसको पहले ही बता देते थे कि यह आपकी पूरी जानकारी नहीं है। कहने का मेरा अर्थ यह है कि हरएक जिले के कार्यकर्ता को वे व्यक्तिगत रूप से जानते थे और प्रत्येक कार्यकर्ता की समस्याओं को भी वे व्यक्तिगत रूप से जानते थे जिससे उनको अपने शासन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती थी। सबके सब ये पक्ष और वह पक्ष दोनों पक्ष, के कार्यकर्ता उनसे सन्तुष्ट रहते थे और उनकी बात को मानने के लिये तैयार रहते थे।

मैं यह महसूस करता हूं कि सुखाड़िया जी के निधन से मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है चाहे वह किसी पार्टी में रहे, हम साथ भी रहे, अलग भी रहे लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने कोई समस्या बताई तो उसके निराकरण का हमेशा उन्होंने प्रयास किया और सफलतापूर्वक प्रयास किया। इसलिये मैं अपने आपको यह मानता हूं कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। वैसे राजस्थान का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का नुकसान हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष, महोदय, श्री मोहनलाल जी शर्मा जो सरदार शहर से निर्वाचित होकर आये थे, उनसे मेरा पहले परिचय नहीं था। इस सदन में जब पहले पहल वे आये तभी उनसे मेरा परिचय हुआ लेकिन उस थोड़े से परिचय में ही वे इतने घुल मिल गये कि मैं आज तक यह महसूस करता हूं कि जैसा मेरे घर का आदमी गया। वे सच्चे मायने में एक ब्राह्मण थे

(श्री हजारी लाल शर्मा)

ब्राह्मण का अर्थ यह नहीं है कि वे किसी एक जाति विशेष के थे लेकिन ब्राह्मण में जो गुण होने चाहिये वे सारे गुण उनमें थे और चाहते थे कि सामने वाला जो आदमी है, जो मिलने वाला आदमी है, जो मेरी बात मानने वाला आदमी है उस आदमी में भी उन गुणों का समावेश हो, इसके लिये वे हमेशा प्रयास करते थे और सतत प्रयास करते रहे कि जो गुण ब्राह्मण में होने चाहिये वे सारे गुण मेरे मित्र में भी आयें। इसी प्रयास के साथ वे चलते थे और जीवन भर वे यह प्रयास करते रहे। आज हमारे बीच में से चले गये, यह बहुत दुख की बात है।

श्री लाल बहादुरजी सक्सेना, श्री करण सिंहजी, श्री सुगनचन्दजी जैन, श्री मावजी भाई–इनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं था लेकिन जितनी जानकारी मिली है उससे लगता है उन्होंने सदन की सेवा की है, अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी की सेवा की है इसलिये हम सब उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते है।

श्री **मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आज हम ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने राजस्थान में 17 साल तक कुशलता पूर्वक शासन किया। यही नहीं, वे एक कुशल प्रशासक थे। स्वर्गीय सुखाड़िया जी के लिये जैसा कहा जो एक विरोध पक्ष है, उसको भी कायम रखते हुए कभी भी उनकी यह भावना नहीं रही कि विरोधियों को कुचल कर रख दिया जाय। वे राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा विकास चाहते थे। खास तौर से राजस्थान में आदिवासी इलाके के विकास के लिये कुछ किया जा सके उसके लिये प्रयास करते थे। मुझे याद है सन् 77 में मैं चुनाव लड़ रहा था उस टाइम पर क्योंकि कांग्रेस की ओर से हमारे सामने कोई केन्डीडेट नहीं था तो सुखाड़िया जी मेरी मीटिंग को एड्रेस करने पधारे थे। उस समय आदिवासियों का जो माहौल था–तीर कमान के साथ समाजवादी नारे लगाते हुए वे आ रहे थे, उससे सुखाड़िया जी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने यह कहा था कि मुझे आज प्रजामण्डल का जमाना याद आ रहा है। जबकि वास्तव में जो गरीब तबका है वह जागरूक रहे और वह उठकर आयें और काम करें। सुखाड़िया जी ने एक बात यह भी कही कि इन्हें जगाने का कार्य करो लेकिन तीर कमान चलाने के लिये इनको उत्साहित मत कर देना। कहने का मतलब यह है कि वे जानते थे कि कितने आगे चल पायेंगे और कितने उग्र हो जायेंगे। यह भावना जो थी वह उनकी पकड़ थी इसलिये जितना कुछ कहा जाय वह बहुत कम है। इस सम्बन्ध में माननीय सदन के नेता जी ने और विरोधी दल के नेता जी ने और जो कुछ कहना चाहिये था वह हमारे बाबूजी ने भी इस बात को दोहराया है कि उनके दिमाग में कभी यह बात नहीं आती थी कि विरोधियों को कुचल कर रख दिया जाय। जो गन्दी भावना होती है जो आज कल रहती है वह उनमें नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यह बात भी बहुत महत्व की है कि श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया ने राजस्थान नहर की शुरूआत की थी। जो उनके अधूरे काम हैं, उनको पूरा करने का संकल्प हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक जन सभा में किया है कि उनके अधूरे कार्यों को पूरा किया जायगा। इसी तरह हमारे उदयपुर के लिये पानी की

Page No.19

(श्री मेघराज तावड़)

समस्या को सुलझाने के लिये देवास योजना उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रारम्भ की थी और बराबर यह प्रयास करते रहे थे कि यह देवास योजना पूरी हो। चाहे वे हमसे पिछले सालों में कितने ही दूर रहे हों, राज्यपाल रहे हों, लेकिन यह प्रयास किया कि देवास योजना पूरी हो और उदयपुर की जनता को पानी मिले। सुपर स्मेल्टर का कारखाना जो आदिवासी इलाके में लगाने की बात थी, उसके लिये आपने अपने विचार रखे थे और वे चाहते थे कि सुपर स्मेल्टर का कारखाना लगना ही उनके लिये पर्याप्त नहीं है इसलिये यह कारखाना यहां लगे जिससे आदिवासी इलाके में और खास तौर से आदिवासियों को रोजगार मिले यह भी उनकी एक मंशा थी। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कहना हमारे लिये सम्भव नहीं है। हमारे साथियों ने जो भावना व्यक्त की है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिये हम कोशिश करें यही उनके लिये सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इसके साथ-साथ श्री मोहनलाल जी शर्मा, जो विधान सभा में चुनकर आये थे एक-आध बार उनने हमारी मुलाकात हुई। उनके कार्यकलापों के बारे में परिचित नहीं हूं लेकिन जो सुना गया है वे अच्छे कार्यकर्ता थे और अपने समाज के लिये जितना कुछ कर सकते थे, किया और करते रहे। उनको भी मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

दूसरे, लाल बहादुर जी सक्सेना, वे भी हमारी विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे मेरा ज्यादा उनसे कभी परिचय नहीं रहा। वे ग्रामीण इलाके में जिस तरह गरीबों के लिये कार्य करते थे उनको खो करके हमारी गरीब जनता ने बहुत कुछ खोया है। उनको भी मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय करणीसिंह जी से भी हमारा परिचय तो नहीं रहा, वे पंचम विधान सभा के सदस्य रहे हैं और समाज के लिये बहुत कुछ किया जैसा अन्य सदस्यों ने कहा मैं अपनी ओर से अपनी भावनाओं को शरीक करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मावजी भाई जो आदिवासी इलाके से आते थे, मेरा उनसे काफी व्यक्तिगत सम्पर्क रहा है। एम. एल. ए. बनने के बाद जैसा कि आजकल के लोगों में एक घमण्ड आ जाता है, उस व्यक्ति में वैसा और किसी भी तरह का घमण्ड नहीं था। हमेशा वे आदिवासी समाज के लिए काम करते रहे। एक तरफ वे भक्त भी थे, जन जागृति के भजनों के जरिये या साधु-सन्तों की मण्डली के जरिये समाज में जागृति पैदा करते थे। हमेशा आदिवासी समाज की सेवा करते रहे। आदिवासियों की सेवा करते हुए ही अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे भी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके भी समाज से उठने पर आदिवासी समाज का एक अच्छा मसीहा, काम करने वाला उठ गया. उनको भी मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री सुगन चन्द जी जैन, राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं, जैसा कि उनके कार्यकलापों के बारे में हमारे अन्य

Page No.20

(श्री मेघराज तावड़)
सदस्यों ने कहा, मैं भी उनको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, श्री मोहनलालजी सुखाडिया को माननीय सदस्य श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुखाड़ियाजी आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे। मेरा उनसे बहुत अधिक सम्पर्क रहा है। मैंने यह देखा है कि क्रोध नाम की चीज तो उनसे कोसों दूर थी। कोई भी व्यक्ति उनसे बड़े गुस्से में मिलने जाता और वापसी में वह बड़ा प्रसन्नचित्त होकर आता। उनकी मुस्कान ऐसी थी कि बहुत ही व्याकुल आदमी को तुरन्त राहत पहुंचाती थी। कई आदमियों को देखा कि उनसे मिलने बहुत गुस्से में जाते थे लेकिन सुखाड़ियाजी मुस्कान से बात करके उनका सारा गुस्सा खतम कर देते थे। उनकी मुस्कान में मोहिनी शक्ति थी।

राजस्थान में 17 साल तक मुख्य मंत्री पद पर रहे। जिस वक्त राजस्थान में 1954 में मुख्य मंत्री बने, राजस्थान में क्या था? राजस्थान में 17 साल में उन्होंने कारखाने स्थापित कर राजस्थान को आगे बढ़ाने का कार्य पूरा किया। उनके मन में राजस्थान के विकास की लगन थी। सुखाड़ियाजी आखिरी दम तक राजस्थान को आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहे।

उनका अभाव राजस्थान को ही नहीं सारे देश को खटकता रहेगा। उनके अभाव की कभी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। राजस्थान में इतिहास लिखा जायेगा उसमें युगों युगों तक सुखाड़िया जी को याद किया जायेगा। सुखाड़ियाजी को भुलाया नहीं जा सकता। सुखाड़िया जी जैसे व्यक्तित्व का दूसरा व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है।

राजस्थान में पंचायती राज की उन्होंने स्थापना की। पंचायती राज की स्थापना के बाद बीकानेर के अन्दर पंचायती राज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। सुखाड़िया जी के बारे में मैं विशेष क्या कह सकता हूं, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मेरी व्यक्तिगत बहुत बड़ी हानि हुई है। मैंने उनको मुख्य मंत्री के रूप में भी देखा और संसद सदस्य के रूप में भी देखा। सुखाड़ियाजी जिस वक्त राज्यपाल थे, दूसरी सरकार आयी। वही एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने दूसरी सरकार आते ही राज्यपाल के पद से तुरन्त इस्तीफा दिया। उन जैसा धैर्यवान व्यक्ति दूसरा मिलना सम्भव नहीं है।

मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दारूण दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री मोहनलाल जी शर्मा, श्री लाल बहादुर जी सक्सेना, कुंवर करणसिंहजी श्री सुगनचन्दजी जैन, और श्री मावजी भाई इस सदन के सदस्य रहे। उनके लिए मैं शोक व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दारूण दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया, श्री मोहनलालजी शर्मा, लाल बहादुर जी सक्सेना, कुंवर करण सिंहजी, सुगनचन्दजी जैन, मावजी भाई के प्रति मुख्य मंत्री महोदय, माननीय विपक्ष के नेता और और दलों के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको भी सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इनमें से सुखाड़ियाजी को व्यक्तिगत तौर पर जानना कोई आवश्यक नहीं है। सुखाड़ियाजी का यहां पर एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उनको व्यक्तिगत तौर पर जानना आवश्यक नहीं है। सुखाड़ियाजी ने राजस्थान के भविष्य के लिए एक कल्पना बनायी थी और उसकी ओर कार्य करने को अग्रसर हुए थे। उनके कामों में हो सकता है बहुत सी गलतियां भी हुई हों लेकिन उनके मन में ऐसी ही परिकल्पना रही थी कि किसी तरह से राजस्थान का विकास हो।

राजस्थान में सुखाड़ियाजी का कोई मोनूमेंट खड़ा करें, ऐसी सरकार की विचारधारा सुनने में आयी है। लेकिन जैसा माननीय विपक्षी दल के नेता ने कहा है कि जो विकास की योजनायें, जैसे राजस्थान कैनाल और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स इस तरह की जो विकास की योजनायें सुखाड़ियाजी ने यहां पर शुरू कीं, यदि हम उनको ही प्राथमिकता देकर पूरा करें तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि मेरी राय में नहीं हो सकती।

श्री मोहनलाल जी शर्मा और श्री करणी सिंह जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता था। मोहन लाल जी शर्मा मेरे परिचित थे और करणसिंह जी से मेरे पारिवारिक सम्बन्ध थे। उनका स्वभाव बहुत मृदु और सरल था और उनसे कोई नाराज नहीं था। इसी प्रकार से और भी सदस्यों के प्रति मैं अपनी और अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हू कि भगवान उनके परिवार को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति देंगे।

श्री त्रिलोकसिंह (फतहपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया, मोहन लाल जी शर्मा, लाल बहादुर जी सक्सेना, करण सिंह जी, मावजी भाई हमारे सदन के माननीय सदस्य थे। उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं मेरी पार्टी की ओर से संवेदना जाहिर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय, विपक्ष के नेता महोदय और अन्य दलों के नेताओं ने जो शोक प्रकट किया है, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

सुखाड़िया जी के व्यक्तित्व और उन्होंने जो कुछ राजस्थान के लिए किया, उसको अपन अच्छी तरह से जानते हैं। उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उनके निधन होने के कई दिन बाद तक मुझे यह विश्वास नहीं हुआ कि सुखाड़िया जी सचमुच चले गये।

अभी जब याद आती है तो दिल को एक ठेस पहुंचती है कि श्री सुखाड़िया जी हमारे बीच में नहीं हैं। यह कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि सभी वर्ग के, सभी राजनैतिक पार्टियों के सुखाड़िया जी चहेते थे। शिड्यूल्ड कास्ट्स के हों, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हों, किसान हों, मजदूर हों, व्यापारी, उद्योगपति, भूतपूर्व जागीरदार, राजा, सभी यह समझते थे कि सुखाड़ियाजी हमारे

(श्री अध्यक्ष)

आदमी हैं। यह भी वे जानते थे कि हमारी अगर कोई कठिनाई हो या हमारी समस्या हो, वह उनको जाकर सुनायेंगे तो वे हमारी मदद करेंगे। यों राजनैतिक पार्टियों में आपस में कई तरह के मतभेद चलते रहते हैं लेकिन सुखाड़िया जी के लिए मैं यह कह सकता हूं कि नीति सम्बन्धी मामलों में मतभेद मिटाये भी जा सकते थे। विपक्ष की पार्टियों के सदस्य को अगर वास्तव में दुःख और तकलीफ हुई, यदि कोई व्यक्तिगत समस्या हुई तो यह आशा लेकर जाते थे कि सुखाड़िया जी के पास जायेंगे तो सुखाड़िया जी कुछ न कुछ ठीक करेंगे।

राजस्थान की राजनीति और देश की राजनीति पर भी सुखाड़ियाजी की बहुत गहरी छाप है। सुखाड़िया जी कैसे प्रशासक थे, कैसे देश भक्त थे, कितनी सूझबूझ वाले थे, कितने बुद्धिमान थे. इसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यकाल में वरिष्ठ मंत्री, हम लोग, जो उनके नजदीक थे, कहा करते थे कि भई, सुखाड़िया जी जिस शाला में पढ़े, जिस स्कूल में पढ़े, सुखाड़िया जी ने जिस तरह की किताबें पढ़ीं, वह किताबें अब छपनी बन्द हो गई और जिन गुरुओं ने, शिक्षकों ने उनको पढ़ाया, वे शिक्षक दुनियां में रहे नहीं। यह बात कुछ हद तक सही भी है। सुखाड़िया जी 17 साल तक मुख्य मंत्री रहे। कई दफा मैंने अजमा करके देखा, सुबह से शाम तक दौरे में रहते, बड़े लम्बे लम्बे दौरे किया करते थे। उनके साथियों ने देखा होगा कि रात के भले ही 12 बज गए, उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि आज तो बहुत काम था, बहुत लम्बा दौरा था, हम थक गए। अथक प्रयत्न करते थे और दूसरे दिन सुबह जब काम पर बैठते तो वे ही ऐसे मुख्य मंत्री थे, 17 साल तक मुख्य मंत्री रहे, लेकिन मैंने देखा है रोज ऐसे नये हों जैसे आज ही उनको चीफ मिनिस्ट्री मिली हो, इतने नये हों। काम का शौक वह रखते थे और काम की जरूरत वह महसूस करते थे। एक मुख्य मंत्री से पहले का जो मुख्य मंत्री होता है उसमें और नये मुख्य मंत्री में आम तौर से अनबन रहती है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री सब के सब एकत्रित होकर जो वर्तमान मुख्य मंत्री होता है उसके विरोधी बन जाया करते हैं, ऐसा हमारा इतिहास बताता है। सुखाड़िया जी के बाद में ऐसे चार-पांच मुख्य मंत्री आए, गए। हमारे दल के थे चाहे विरोधी दल के थे, सुखाड़िया जी को वे श्रद्धा की नजर से देखते थे और मैं समझता हूं कि यदि आवश्यकता होती तो निस्संकोच सुखाड़ियाजी के पास वे जा सकते थे। इस तरह के सुखाड़ियाजी में कई गुण थे।

इस सदन में मैं भी काफी लम्बे समय तक सदस्य रहा और योग्य से योग्य विधायक यहां पर आए, बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, उस कारण से वह बहुत आगे भी बढ़े। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि सुखाड़िया जी जैसे पार्लियामेंटेरियन थे वैसा दूसरा पार्लियामेंटेरियन मैंने नहीं देखा। विपक्ष के नेता महोदय ने बिल्कुल सही बात कही कि सुखाड़िया जी की आवाज आज भी इस सदन में गूंजती है। सुखाड़िया जी की बदकिस्मती रही कि हमेशा कभी तो चुनाव के बाद में एक के अल्प मत में या एक दो के बहुमत में आए। विपक्ष में भी दिग्गज हुआ करते थे। बराबरी की पार्टी हुआ करती थी। उस वक्त प्रशासन तन्त्र इतना बड़ा नहीं

(श्री अध्यक्ष)

था इसलिए भ्रष्टाचार के, पक्षपात के अनेक तरह के आरोप बड़े प्रमाणों के साथ में लगाए जाते थे और ऐसा लगता था कि आज तो सरकार उसका उत्तर दे नहीं सकेगी। मैं जब कानों में आवाज गूंजने की बात कहता हूं तो सुखाड़ियाजी आम तौर पर 90 मिनट का भाषण दिया करते थे। इस सदन में जब वे भाषण प्रारम्भ करते थे तो विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेता काफी सजधज कर बैठते थे और हर बात ध्यान में रखते थे लेकिन हवा निकलने से छोटे से हो जाता है वैसे हो जाते थे। उनका यह निश्चित ध्येय होता था कि जो कुछ सदन में बात आई है उसका संतोष-जनक उत्तर देना है और उत्तर भी ऐसा होना चाहिए कि जो सदन के सदस्यों को जंचे। हमेशा उनकी यह कोशिश रहती थी। सदन के नेता के नाते भी उन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया है उसको हमें मान कर उसके अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं, सुखाड़िया जी जितने अधिक समय तक नेता के रूप में इस सदन में बैठते थे उतने समय तक शायद ही कोई नेता बैठा हो। जब कोई विवादास्पद विषय सदन के सामने आ जाता था तो वे तत्काल सदन के अन्दर आया करते थे। उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी, सदन के अन्दर भी इतना उनका प्रभाव था कि परिस्थितिवश पक्ष और विपक्ष दोनों बराबरी के होते हुए भी जब वे किसी बात का, किसी समस्या का, किसी विवाद का उत्तर देते थे तो आम तौर से विपक्ष वाले भी संतुष्ट हो जाते थे। सुखाड़िया जी आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उन्होंने एक नेता को कैसा होना चाहिए उसका आदर्श उपस्थित किया है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तो हार्दिक कामना है, व्यक्तिगत समझ लीजिए कि अगर पुनर्जन्म संसार में होता हो तो सुखाड़िया जी दुबारा हमारे इस प्रदेश के अन्दर जन्म लेकर आयें।

यह मेरी हार्दिक कामना है। सुखाड़िया जी जिस किसी रूप में हों, परमात्मा उनको चिर शांति प्रदान करे। उनके परिवार वालों को, हम सब को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे, यही मेरी कामना है, यही मेरी अभिलाषा है।

इसके साथ साथ दुर्भाग्य की बात है कि पांच अन्य माननीय सदस्य, जो हमारी इस सभा के सदस्य थे, पिछले सत्र के बाद में इस संसार से चल बसे। उनमें श्री मोहनलालजी शर्मा, जो सरदारशहर से चुन कर आए थे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, अपने क्षेत्र की, अपने जिले की राजनीति के माध्यम से सेवा करने की पूरी कोशिश की। उनका देहान्त भी उस वक्त हुआ जब वह किसी सभा में मंच पर बैठे हुए थे और भाषण के लिए उठे थे। उन्होंने भी ज्यादा उम्र नहीं पाई लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। परम पिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिरशांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों, उनके मित्रों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति प्रदान करे।

श्री लालबहादुर जी सक्सेना इस सभा के 1952 से 57 तक सदस्य थे। मेरा उनसे मिलने का कभी अवसर नहीं हुआ। पिछली विधान सभा में वे चुन कर आए। उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि जिस क्षेत्र और जिस जिले का वे प्रतिनिधित्व

(श्री अध्यक्ष)

करते थे उसकी तरक्की हो। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को चिरशांति प्रदान करे और परिवार वालों को, मित्रों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति प्रदान करे।

कुंवर करणसिंह जी भरतपुर जिले से चुनकर 1972 में आये थे, 1977 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे। कई दफा हमारा उनसे मिलना होता था। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, मितभाषी थे। इस सदन के अन्दर भी जब कभी बोलते थे तो सही बातें, जो वास्तव में जनता की तकलीफें हैं, अपने जिले की तकलीफ है उसी के बारे में कहने की कोशिश करते थे। उन्होंने भी ज्यादा उम्र नहीं पाई, थोड़ी अवस्था में चले गये। यह हमारे सबके लिये दुर्भाग्य की बात है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को, उनके सम्बन्धियों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री सुगनचन्द जी जैन, 1952 से लगा कर 1962 तक इस सभा के सदस्य रहे। वे समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही सज्जन थे। जब कोई वास्तव में तकलीफ में होते थे या उनकी शिकायत होती थी या सुझाव देना होता था उसी स्थिति में इस सदन में बोलते थे। लेकिन सदा अपने कार्य में लगे रहते थे। ऐसे व्यक्ति का इस समय में चला जाना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को, मित्रों को और पार्टी के साथियों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे।

श्री मावजी भाई, विधान सभा के सदस्य रहे। वे सुरक्षित क्षेत्र से चुन कर आते थे। उन्होंने हमेशा अपना समय समाज के पिछड़े वर्ग की उन्नति में लगाया। अपने चुनाव क्षेत्र का और अपने जिले का सही ढंग से प्रतिनिधित्व किया। परमात्मा उनकी आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे, यही मेरी कामना है।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, वे अपने स्थान पर खड़े होकर दो मिनट दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि प्रदान करें।

(सदन ने दो मिनट खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि प्रदान की)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

सदन की कार्यवाही दिनांक 23 फरवरी, 1982, मंगलवार के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 2.35 बजे मंगलवार दिनांक 23 फरवरी, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट

(महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण)

माननीय सदस्यगण,

राजस्थान की सातवीं विधान सभा के इस बजट सत्र में, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।

राजस्थान के विकास की दिशा में यह वर्ष अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला रहा है। देश की प्रधान मंत्री के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की भावना के अनुरूप बीस संकल्प कार्यक्रम अगस्त, 1981 में प्रभावी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ विकास लक्ष्यों का संकलन था जिन्हें हर हालत में वर्ष के अन्त तक पूर्ण करने का संकल्प लिया गया था। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन का जिला स्तर पर भी प्रभारी मंत्रीगण द्वारा नियमित मानीटरिंग किया गया जिससे कि प्रशासन अधिक गतिशील हो सके। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इससे विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली है।

यह भी हर्ष का विषय है कि प्रधान मंत्री ने इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का श्री गणेश किया है। मुख्य विकास लक्ष्यों का चयन देश की प्रमुख समस्याओं को ध्यान में रख कर किया गया है, और इस कार्यक्रम को अब अमल में लाना है। 20 संकल्प के क्रियान्वयन के अनुभव से यह विश्वास है कि इस नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने में भी सफलता मिलेगी तथा राज्य के विकास की गति और तीव्र होगी।

सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित है। इसी भावना के अनुरूप बीस संकल्प कार्यक्रम का पहला संकल्प पूरे चुनाव कराना था जिससे कि चुनावों पर आधारित सभी संस्थाओं के चुनाव कराये जाकर उन्हें क्रियाशील किया जा सके।

इस वर्ष पंचायत राज को नवजीवन देना स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य में पंचायत राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने एवं भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को मूर्त रूप देने के लिए भारत के प्रथम प्रधान मंत्री राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। कतिपय कारणों से लम्बे समय तक पंचायत राज संस्थाओं के कार्यक्रमों में शिथिलता रही। 30 जनवरी, 1982 को पंचायत राज का दीपक पुनः प्रज्वलित किया गया। सरकार की यह मान्यता है कि विस्तार एवं कल्याण की योजनाओं का माध्यम वही हो सकता है जो जाना-पहिचाना हो और जिसके साथ ग्रामवासियों का तादात्म्य हो। गांव की आकांक्षा एवं क्षमता से परिचित जन प्रतिनिधियों वाला पंचायत राज अधिक सार्थक एवं प्रभावशील सिद्ध होगा मुझे, यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राज्य की 143 नगरपालिकाओं के चुनाव भी सम्पन्न हो गये हैं और इससे नगरों में भी विकास की प्रक्रिया तीव्र

होगी। अन्य संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया भी जारी है।

राज्य के आर्थिक विकास को सुस्पष्ट दिशा देने एवं इसकी गति को तेज करने के लिए यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का गठन इस प्रकार हो कि वह सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम बन सके। भविष्य की योजनाओं के लिए हर क्षेत्र में दीर्घकालीन परियोजनायें बनाई जाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि जन-शक्ति एवं साधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।

राजस्थान के लिए गत कुछ वर्षों की भांति यह वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष रहा। जुलाई के तीसरे सप्ताह में अति-वृष्टि के कारण बाढ़ के प्रलयंकारी प्रकोप ने राज्य के 10 जिलों में एक गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। विशेषकर टौंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर एवं नागौर जिलों में जन-धन की भारी क्षति हुई। इस प्राकृतिक आपदा से लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए और राजकीय तथा नागरिक सम्पत्ति की भीषण तबाही हुई। सिंचाई के बांधों, तालाबों, जलदाय योजनाओं, सड़कों, बिजली संस्थानों एवं रेल-मार्गों को हुई क्षति ने राज्य के इन जिलों में जन जीवन को पूर्णत: अस्त-व्यस्त कर दिया था। जयपुर नगर का कई दिनों तक राज्य के अन्य भागों से यातायात सम्बन्ध विच्छेद रहा। इस संकट की स्थिति में जनता ने जिस धैर्य के साथ अपने मनोबल को बनाये रखा तथा बचाव कार्य में योगदान दिया एवं स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य संस्थानों द्वारा जो तत्काल सहायता की व्यवस्था की गई, वह सराहनीय है। इस स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा तात्कालिक राहत पहुंचाने एवं जीवनयापन के साधन उपलब्ध कराने हेतु व्यापक स्तर पर तत्परता के साथ आवश्यक कदम उठाये गये, विद्युत् व जल प्रदाय सेवायें पुन:स्थापित करने तथा चिकित्सा व नागरिक रसद की उपलब्धि हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई। अब पुनर्वास एवं मरम्मत का कार्य राज्य के विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से सम्पन्न कराया जा रहा है। सरकार के इन प्रयत्नों की सभी क्षेत्रों में सराहना की गई है।

राज्य का एक भाग जहां बाढ़ के महा-विनाश से मुक्त भी नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ अगस्त माह के अन्तिम पक्ष में एवं सितम्बर माह में वर्षा नहीं होने के कारण राज्य के विभिन्न भागों में पुन: अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य के 11 जिलों में तो वर्षा सामान्य से भी कम रही। परि-णामत: राज्य के सभी 26 जिलों में स्थित 33,305 आबाद गांवों में से 23,245 गावों में अभाव-स्थिति की घोषणा की गई। संवत् 2037 में राज्य के सभी जिलों के 21,395 गांवों में बसने वाली 167·71 लाख जन-संख्या प्रभावित हुई। अभाव-स्थिति से इस वर्ष 200·11 लाख जन संख्या एवं 276·12 लाख पशुधन प्रभावित हुआ है।

संवत् 2037 में सभी 26 जिलों में राहत-कार्य चलाये गये थे किन्तु 7 जिलों में स्थिति इतनी गम्भीर थी कि गत वर्ष के राहत-कार्यों को निरन्तर चालू रखना पड़ा और सितम्बर माह से प्रत्येक प्रभावित तह-सील में परीक्षण राहत-कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृतियां दी गई। दिसम्बर माह से नियमित राहत-कार्य भी चालू कर दिये गये। फरवरी माह में लगभग 2 लाख 75 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया

जा रहा है। यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि आवश्यकतानुसार अधिक राहत-कार्य खोले जाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जावे।

इस वर्ष कई जिलों में लगातार अकाल का तीसरा व पश्चिमी ज़िलों में चौथा वर्ष है, जिसके फलस्वरूप जल-स्रोतों में पानी की उपलब्धि बहुत कम हो गई है। राज्य के रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में इस वर्ष पेयजल का गम्भीर संकट विशेष अनुभव किया जा रहा है। पेयजल की इस विकट स्थिति का सामना करने तथा नागरिकों एवं पशु-धन के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नये कुएं खुदवा कर, पुराने कुओं को गहरा कराकर, ट्रक-टैंकरों व अन्य साधनों से जल परिवहन करा कर, नल-कूप चलवा कर, हैण्ड-पम्प्स लगवा कर तथा जल प्रदाय योजनाओं द्वारा एवं पिवाई स्वीकृत कर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।

अतिवृष्टि एवं बाद में अनावृष्टि का प्रभाव राज्य के कृषि-उत्पादन पर भी पड़ा है। खरीफ 1981 में 120.65 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई के लक्ष्य की तुलना में अनुमानतः 110 लाख हेक्टेयर भूमि में बुवाई हुई है। वर्ष 1980-81 में खरीफ की फसल में 89.49 लाख हेक्टेयर भूमि में खाद्यान्न बोया गया था जब कि वर्ष 1981-82 में यह 76 लाख हेक्टेयर भूमि में बोया जाना अनुमानित है। खरीफ-दालों, तिलहन, गन्ना और कपास की फसलों के अन्तर्गत बुवाई का क्षेत्रफल वर्ष 1980-81 के मुकाबले क्रमशः 22.6, 35.00, 72.00 एवं 12.00 प्रतिशत बढ़ा है। चालू वर्ष में खरीफ की कम रकबे में बुवाई तथा बाद में अनावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान के फलस्वरूप खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन गत वर्ष के अनुमानतः 27.18 लाख टन के मुकाबले 21 लाख टन होने का अनुमान है। खरीफ-दालों का 2.90 लाख टन, खरीफ-तिलहन का 2.30 लाख टन, गन्ने का 19 लाख टन तथा कपास का 5 लाख गांठ उत्पादन होने का अनुमान है।

सर्दी के मौसम में वर्षा अनुकूल समय पर हो जाने के कारण रबी की फसल गत वर्ष के मुकाबले रकबे एवं उत्पादन दोनों में ही बढ़ने की सम्भावना है। वर्ष 1980-81 में रबी में 45 लाख हैक्टेयर भूमि में बुवाई हुई थी जब कि इस वर्ष 47 लाख हैक्टेयर भूमि में बुवाई का अनुमान है। वर्ष 1980-81 में रबी-खाद्यान्न का 37.84 लाख टन उत्पादन हुआ जिसमें रबी-दालों का 8.75 लाख टन उत्पादन शामिल है। इसके मुकाबले वर्ष 1981-82 में रबी-खाद्यान्नों का 45.30 लाख टन, जिसमें रबी दालों का 14 लाख टन उत्पादन शामिल है, होने का अनुमान है। रबी-तिलहन के क्षेत्र में भी उत्पादन गत वर्ष के 2.63 लाख टन से बढ़ कर 3.30 लाख टन होने का अनुमान है।

वर्षा की कमी एवं सिंचाई के लिए पानी की कमी के उपरान्त भी उत्पादन का स्तर बनाये रखने में कृषि-प्रसार कार्यक्रम, अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग तथा अधिक उर्वरक के उपयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में लगभग 5 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत लाया गया और उसके लिए उन्नत बीज, उर्वरक,

पौध संरक्षण आदि के कृषि आदान (इन-पुट्स) उपलब्ध कराये गये।

पानी कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदान है। सतही सिंचाई के सन्दर्भ में राजस्थान को अपनी आवश्यक सिंचाई क्षमता के लिए मूलतः बाह्य जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों से उपलब्ध जल स्रोतों से राजस्थान के हिस्से का जल प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही है। यह हर्ष का विषय है कि रावी, व्यास नदियों के पानी के विभाजन का राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों के मध्य अभी हाल ही में जो समझौता हुआ है उसके अनुसार राज्य को समुचित व सुनिश्चित मात्रा में पानी मिलने का प्रावधान किया गया है। नोहर और सिद्धमुख परियोजनाओं के लिए व्यास नदी से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की सहमति के फलस्वरूप अब यह परियोजनाएं शीघ्र ही क्रियान्वित हो सकेंगी।

राज्य में निर्माणाधीन वृहत्, मध्यम और आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं व बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं पर कार्य वर्ष 1982-83 में भी जारी रहेगा। इन परियोजनाओं पर चालू वर्ष में 70.60 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। माही-बजाज सागर परियोजना के मुख्य बांध का कार्य सन् 1983 तक पूरा होने की संभावना है जिससे रबी 1983 में ही लगभग 40 हजार हेक्टेयर भूमि को सिचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

चालू वर्ष में 95 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जिनमें से 18 परियोजनाएं जन जाति विकास क्षेत्र में हैं। 14 परियोजनाओं का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा किये जाने की संभावना है तथा लगभग 11 परियोजनाओं में मुख्य कार्य पूरा होकर उनसे भी आंशिक सिंचाई क्षमता उपलब्ध हो सकेगी।

राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में चालू वर्ष में 67 कि.मी. लम्बाई में वितरक प्रणाली व 50 कि.मी. लम्बाई में पक्के खालों का कार्य करवाने का लक्ष्य है। द्वितीय चरण में मुख्य नहर व वितरक प्रणाली को क्रमशः 30 कि.मी. व 55 कि.मी. लम्बाई में पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना पर 5.61 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता इस वर्ष के अन्त तक पैदा करने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त अन्य वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनओं से 27 हजार हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त होने की संभावना है।

सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नहर के 74 कि.मी. तक की वितरक प्रणाली को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। नहरों की कुल लम्बाई 1,850 कि.मी. है जिसमें से मार्च, 1981 तक 1,753 कि.मी. लम्बाई में नहरों को पक्का किया जा चुका था।

चम्बल सिंचित क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास का कार्य प्रगति पर है। इस योजना से जलोत्सरण, जल-भराव एवं भूक्षारित्व की समस्या का समाधान हुआ है। फलस्वरूप इस परियोजना का द्वितीय चरण भी प्रस्तावित किया जा रहा है ताकि कृषि विकास की गति में वृद्धि हो। उत्तर-पश्चिम भाखरा

सिंचित क्षेत्र में भी भूमि विकास का कार्य तेजी से प्रगति पर है।

सिंचित क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया को आगे बनने वाली वृहत् योजनाओं एवं कुछ पुरानी तथा आधुनिकीकृत मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में भी लागू किये जाने हेतु क्षेत्रीय विकास परियोजनायें बनाई जाने का कार्यक्रम चालू किया जा रहा है।

राज्य के सतही जल-स्रोत सीमित हैं और इनका लाभ एक निश्चित कमाण्ड क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। किसान मूलतः कुओं से सिंचाई करता है और इसके लिए भू-जल होने के साथ-साथ उसके विदोहन के साधन भी उपलब्ध होना आवश्यक है। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से 90 लघु सिंचाई योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जाकर सम्पन्न की जा चुकी हैं तथा 115 क्रियान्वित की जा रही हैं।

राजस्थान नहर परियोजना का प्रथम चरण लगभग पूर्ण हो चुका है और दिसम्बर, 1981 तक 78,284 भूमिहीन लोगों को लगभग 9.83 लाख एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसमें लगभग 2.74 लाख एकड़ भूमि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के 23,985 व्यक्तियों को आवंटित की गई है। गत भारत-पाक युद्ध के समय पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लगभग 3,000 परिवारों को करीब 25 बीघा प्रति परिवार के हिसाब से 73,573 बीघा भूमि द्वितीय चरण में आवंटित की गई है।

इसी प्रकार चम्बल, भाखरा व गंग नहर परियोजना क्षेत्र में भी कुल आवंटन योग्य 9.77 लाख एकड़ भूमि में से 8.69 लाख एकड़ भूमि 48,334 लोगों को आवंटित की जा चुकी है जिनमें 20,320 लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हैं। मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र में भी लगभग 38 हजार व्यक्तियों को 81 हजार एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है जिसमें लगभग 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जन जाति के हैं।

मरु विकास कार्यक्रम राज्य के 11 मरुस्थलीय जिलों में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 से क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप वन विकास, पशुधन विकास, डेयरी विकास आदि पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 1980-81 तक इस कार्यक्रम पर 27.65 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके थे तथा इस वर्ष 8.72 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की संभावना है।

सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम भी एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में राज्य के 10 सम्पूर्ण जिलों एवं 3 जिलों की 6 तहसीलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा संभाव्य क्षेत्र में विकास का आधारभूत ढांचा निर्मित करके विकास की गति तेज करके जनसाधारण को रोजगार के वैकल्पिक स्थायी साधन उपलब्ध कराना है। कृषि विकास, लघु सिंचाई, भूजल विदोहन, वन विकास आदि प्रमुख कार्यक्रमों पर वर्ष 1980-81 तक 59.41 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा इस वर्ष 9.60 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की संभावना है।

ग्रामीण विकास का लाभ अपेक्षाकृत सक्षम व्यक्तियों तक ही सीमित न रहे और

Page No.30

ग्रामीण समाज में आर्थिक विषमता की बढ़ोतरी को रोका जा सके, इस हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों का चयन मई-जून, 1981 में करवाया गया। फलस्वरूप 2.95 लाख परिवारों की सूची बनाई जाकर उन्हें लाभान्वित करने का कार्यक्रम बनाया गया।

भारत सरकार के निदेशानुसार प्रति पंचायत समिति में से वर्ष 1981-82 में 600 परिवारों को लिया गया। इस प्रकार इस वर्ष 1,41,600 परिवारों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम है। यह अनुमान है कि 17 करोड़ रुपये अनुदान एवं 25 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके लक्ष्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

किसान को बिचौलियों के शोषण से बचाने हेतु कृषि विपणन एवं मण्डी विकास कार्यक्रम के तहत दिसम्बर, 1981 तक 129 प्रमुख मण्डियां एवं 212 गौण मण्डियां कार्यरत थीं। वर्ष 1981-82 में तीन नई कृषि मण्डियां गोविन्दगढ़ (अलवर), किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर) व रतनगढ़ (चूरू) में स्थापित की गई। अभी तक 25 नये मंडी प्रांगण बनाये जाकर मण्डियां नये स्थलों पर स्थानान्तरित कर दी गई हैं तथा 28 मण्डी प्रांगणों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस हेतु कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम से 7 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया गया है। चालू वर्ष में किसानों का अनाज रखने के लिए 80 ग्रामीण गोदाम बनाये जाने का कार्यक्रम है। मण्डी क्षेत्र में आवक को बढ़ाने के लिए सड़क-निर्माण का कार्य भी कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है।

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में पर्यावरण में प्राकृतिक सन्तुलन को बनाये रखने, मरुस्थल विस्तार को रोकने एवं वन सम्पदा में वृद्धि करने के उद्देश्य से चालू वर्ष में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के अनेक कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से क्रियान्वित किये गये हैं। इस वर्ष सम्पूर्ण राज्य में 3 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले में 3.05 करोड़ वृक्ष लगाये गये जो कि पूर्व वर्षों के अनुपात में अधिक हैं। वनों का और अधिक व्यापक रूप से विस्तार करने हेतु आगामी वर्षा ऋतु में रेवाइन (Ravine) क्षेत्रों में परीक्षण के तौर पर हवाई जहाजों द्वारा 1,500 हेक्टेयर भूमि पर बीजारोपण का कार्यक्रम बनाया गया है। इसकी सफलता का मूल्यांकन कर इस प्रयोग को और भी आगे बढ़ाया जा सकेगा।

गांवों में ईंधन की कमी को पूरा करने के प्रयास में केन्द्र प्रवर्तित "ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण" योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत 8 जिलों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जन जाति परिवारों के आर्थिक विकास के लिये एक और योजना चालू की गई है जिसके अन्तर्गत 2 हेक्टेयर वन भूमि प्रति परिवार प्रति वर्ष वृक्षारोपण हेतु दी जाती है तथा उन्हें वृक्षारोपण एवं देखभाल के लिये मासिक पारिश्रमिक भी दिया जाता है।

हमारे घना पक्षी अभयारण्य को इसी वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग 3,000 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु-उद्यान का कार्य तेजी से चल रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में गत वर्ष सम्पूर्ण राज्य में वन्य

जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप वन्य जीवों में वृद्धि हुई है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 2,100 "रो" किलोमीटर में वन रोपण, 300 हेक्टेयर भूमि में जलाऊ लकड़ी वृक्षारोपण तथा 4,000 हेक्टेयर में चारे का विकास एवं टीबा-स्थिरीकरण कार्य सम्पन्न किया गया है।

ग्राम विकास को आवश्यक वित्तीय साधन मुहैया करवाने के लिये सहकारी संस्थाओं का महत्व सर्वविदित है। सहकारी संस्थायें अपना काम समुचित रूप से कर सकें इसके लिये यह आवश्यक था कि सभी सहकारी संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि हों और वे अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को सम्भालें। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि लगभग सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र ही सम्पन्न हो जायेंगे।

सहकारी वर्ष 1980-81 के अन्त तक 78 प्रतिशत कृषक परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाया जा चुका है। इसी वर्ष में 73.49 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण, 7.97 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण एवं 17.25 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये। अकाल से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से 26.73 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया। इस वर्ष भी अकालग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों के ऋणभार को कम करने के उद्देश्य से 33.33 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से सहकारी गोदाम निर्माण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 तक 1,720 गोदाम स्वीकृत किये गये थे। 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 1,000 गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो कि प्राप्त कर लिया जायेगा।

सहकारी समितियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने हेतु ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत लगभग 2,800 ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करवाया जा रहा है। सहकारी उत्पादन के क्षेत्र में गजसिंहपुर में आइल सीड प्रोसेसिंग मिल शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर देगी एवं एक बर्फखाना, एक दाल मिल, एक कीटनाशक औषधि निर्माण कारखाना व एक काटन जिनिंग मिल स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

पशु संवर्द्धन, नस्ल सुधार एवं पशुपालन पर आधारित डेयरी उद्योग के विकास के माध्यम से "श्वेत क्रान्ति" लाने का सतत् प्रयास जारी है। पशु संवर्द्धन के लिए पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत मरुस्थलीय क्षेत्र में 30 स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। फलस्वरूप पशु चिकित्सा संस्थाओं की संख्या बढ़कर 687 हो गई है। रोग की प्रारम्भिक अवस्था में रोकथाम हो सके इस दृष्टि से 53 भ्रमणशील पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा इकाइयां पहले से काम कर रही थीं और राजस्थान नहर क्षेत्र में 2 और भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग एक लाख

गायों को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में फ्रोजन सीमन उपलब्ध कराने की दृष्टि से पशु 63 स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष जयपुर में डेढ़ लाख लीटर दूध प्रतिदिन क्षमता का डेयरी संयंत्र चालू हो गया है। साथ ही बाड़मेर, गंगापुर सिटी एवं ब्यावर में अवशीतन केन्द्र भी चालू हो गये हैं। बीकानेर एवं जोधपुर संयंत्रों की क्षमता क्रमशः एक लाख लीटर से बढ़ाकर डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन की जा रही है। अजमेर के डेयरी संयंत्र की क्षमता तीस हजार लीटर से बढ़ाकर एक लाख लीटर प्रतिदिन की जा रही है। यह सभी डेयरी संयंत्र आगामी वर्ष मे चालू हो जायेंगे। भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर एवं हनुमानगढ़ में डेयरी संयंत्रों का निर्माण प्रगति पर है। अगले वर्ष तक नागौर, विजयनगर, फलौदी डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा सवाई माधोपुर में भी अवशीतन केन्द्र बन कर चालू हो जायेंगे। पशु आहार संयंत्र बीकानेर एवं जोधपुर में चालू हो गये हैं। सरकार द्वारा दूध का मूल्य बढ़ाया जाकर पशुपालक को अधिक कीमत दिलाई जाने के फलस्वरूप दुग्ध संकलन की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। दुग्ध संकलन जनवरी, 1981 की दैनिक औसत 2.41 लाख लीटर से बढ़कर जनवरी, 1982 में 3.55 लाख लीटर हो गया है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

राज्य में मत्स्य विकास को गति प्रदान करने के लिए पृथक से मत्स्य निदेशालय की स्थापना की गई है। राज्य के मत्स्य उत्पादन के मुख्य स्रोतों में उत्पादन की निरंतर वृद्धि हेतु आधुनिक तकनीक का प्रारूप तैयार करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 18.60 लाख की योजना स्वीकृत हुई है जिस पर इस वर्ष से कार्य शुरू किया जायेगा।

राजस्थान को इस वर्ष भी भीषण विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल विद्युत योजनाओं के जलाशयों में पानी का स्तर कम रहने एवं राजस्थान अणु बिजलीघरों के बार बार बन्द हो जाने के फलस्वरूप विद्युत उपलब्धि मांग से काफी कम रह जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण कृषि क्षेत्र का सम्बद्ध भार (Connected Load) 1000 मेगावाट से अधिक हो गया है और फसलों में सिंचाई के समय मांग एक साथ बढ़ने से यह संकट और भी विषम हो जाता है।

विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिये विद्युत क्षमता बढ़ाने के क्रम में कोटा ताप विद्युतघर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी पहली इकाई के शीघ्र ही चालू होने की संभावना है जिससे 110 मेगावाट विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। इसकी 110 मेगावाट क्षमता की दूसरी इकाई भी आगामी वर्ष चालू होने की संभावना है। इसी परियोजना के द्वितीय चरण में 210 मेगावाट क्षमता वाली दो अतिरिक्त इकाइयां स्थापित करने का कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है। माही परियोजना पर 140 मेगावाट क्षमता के उत्पादन हेतु निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। पलाना में लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत परियोजना हेतु जर्मन जनवादी गणराज्य से तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त होने की दिशा में प्रगति हुई है और इस परियोजना का कार्य भी जल्दी प्रारम्भ किये जाने की

आशा है। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट होगी। अन्तर्राज्यीय योजनाओं के माध्यम से बिजली प्राप्त करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश की पार्वती, कोल एवं संजय परियोजनाओं में से राजस्थान के लिये विद्युत् प्रदाय की सहमति एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को स्वयं के उत्पादक संयंत्र लगाने की अनुमति भी दी जा रही है।

विद्युत् प्रसारण की क्षमता के विकास द्वारा सही वोल्टेज देने हेतु 220 के.वी. एवं 132 के.वी. की लाइनें डाली जा रही हैं। इस वर्ष निर्धारित 11,000 कुओं पर बिजली देने के लक्ष्य को बढ़ा कर बीस संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत 25,000 कर दिया है। 1,100 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य भी बढ़ा कर 1,500 कर दिया गया है एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिये जाने की आशा है।

सर्वतोमुखी विकास के साथ बढ़ रही ऊर्जा की मांग के लिए केवल विद्युत् पर आधारित नहीं रखा जा सकता। इसके लिये ऊर्जा के वैकल्पिक साधन भी अपनाने होंगे। जैविक, वनस्पति, सौर एवं पवन ऊर्जा के स्रोतों के विदोहन के लिए विकसित तकनोलोजी के उपयोग हेतु विज्ञान व तकनोलोजी परिषद् का गठन किया जा रहा है। साथ ही सभी प्रकार के ऊर्जा के संभावित उपयोग में सामंजस्य बनाये रखने के लिए ऊर्जा मण्डल का गठन किया जायेगा।

वर्ष 1981-82 में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 हजार लघु इकाइयों के स्थायी पंजीकरण एवं 20 हजार लघु इकाइयों के अस्थायी पंजीकरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये। यह संतोष का विषय है कि ये लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं जिसके फलस्वरूप कुल पंजीकृत इकाइयों की संख्या लगभग 65 हजार हो गई है। कुल पंजीकृत इकाइयों में वर्तमान में 3.12 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तथा 245 करोड़ रुपये की पूंजी का इनमें विनियोजन है।

सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर व चूरू जिलों में न्यूक्लियस प्लान्ट स्थापित किये जाने की योजना है जिससे इन जिलों में उद्योगों को समुचित प्रोत्साहन मिलेगा और नियोजन की संभावनायें बढ़ेंगी।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा वर्ष 1981-82 में 4 नये आशय-पत्र प्राप्त किये गये। निगम द्वारा अब तक स्थापित संयुक्त परियोजनाओं में से 16 इकाइयां उत्पादनरत हैं तथा 6 इकाइयों में इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन होने की संभावना है। निगम द्वारा निर्मित "तरंग" टेलीविजन देश भर में उपलब्ध टेलीविजनों में सबसे सस्ता है। निगम द्वारा अब तक 30.24 करोड़ रुपये के सावधि ऋण स्वीकृत किये गये हैं एवं आगामी वर्ष में 12 करोड़ रुपये के सावधि ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निगम द्वारा अब तक 7,613 औद्योगिक भू-खण्ड वितरित किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में लगभग 1,000 एकड़ भूमि का

विकास करके औद्योगिक भू-खण्ड वितरण करने का लक्ष्य है।

प्रमुख ट्रक चेसिस बनाने वाली कम्पनी अशोक-लेलैण्ड ने अलवर में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा आधारभूत उद्योगों की स्थापना के लिये ब्रेक लाइनिंग निर्माण एवं रिट्रेडिंग रबड़ उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस वर्ष राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा 25 आशय-पत्र, 22 औद्योगिक अनुज्ञप्तियां व 3 टेक्सटाइल मिल लगाने हेतु परमिट स्वीकृत किये गये। इनमें से 5 आशय-पत्र सीमेन्ट उद्योग हेतु दिये गये हैं।

हाथ करघा मण्डल ने नवीन किस्म के उत्पादन में पालीऐस्टर धागे से सिन्थेटिक कपड़ा बनाने का बुनकरों को प्रशिक्षण दिलवा कर 2 स्थानों पर सिन्थेटिक कपड़े का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया तथा 3 अन्य स्थानों पर उत्पादन प्रारम्भ करने की योजना है। मण्डल द्वारा चालू वर्ष में 39 केन्द्रों के माध्यम से 39 लाख रु. की बिक्री की जा चुकी है। वर्ष 1982-83 में 9 अतिरिक्त केन्द्र खोले जाने की योजना है।

चालू वर्ष में खादी का कुल 18.25 करोड़ रु. का उत्पादन होने का अनुमान है। खादी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.45 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे है। ग्रामोद्योग के अन्तर्गत अन्य कार्यक्रमों द्वारा इस वर्ष 10 हजार अतिरिक्त कामगरों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके फलस्वरूप रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या 1 लाख हो जायेगी। ग्रामोद्योगों से ग्रामीण क्षेत्रों में कामगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक चल प्रशिक्षण इकाई भी चालू की जा रही है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 34 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनमें 1,400 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से आधे अनुसूचित जाति के लोग हैं। लुप्त हो रहे हस्तशिल्प विकास हेतु लघु उद्योग निगम के डिजाइन डवलपमेन्ट रिसर्च सैन्टर का पुनर्गठन किया जा रहा है।

राज्य में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने तथा 1982 के उत्पादन वर्ष में निरन्तर वृद्धि हेतु प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। चालू वर्ष में राजस्थान कान्ट्रेक्ट लेबर सलाहकार मण्डल का पुनर्गठन किया गया। उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य स्तर पर एक बोर्ड का गठन कर दिया गया है। इसी प्रकार बाल श्रमिकों को अधिक सुविधाएं दिलाने एवं उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने के कार्यक्रम बनाने तथा राज्य सरकार को सलाह देने हेतु राज्य स्तर पर एक बोर्ड का गठन कर दिया गया है।

केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम के तहत नियम प्रकाशित करके दिनांक 2 अक्टूबर, 1981 से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बिना लाइसेंस प्राप्त किये किसी भी ठेकेदार द्वारा अन्तर्राज्यीय श्रमिक के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

Page No.35

राज्य में खनन कार्य से प्रत्यक्ष रूप में 1.32 लाख व्यक्ति को व अप्रत्यक्ष रूप से इससे कई गुना अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष नये खनिजों की खोज हेतु सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत 40 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। राज्य में विभिन्न जगहों पर तांबे, लाइम-स्टोन, लिग्नाइट व सीमेंट ग्रेड के लाइम स्टोन के उत्साहवर्द्धक भण्डार मिले हैं। अगूचा (भीलवाड़ा) क्षेत्र में अब तक 5.30 करोड़ टन जस्ता व सीसे के भण्डारों के पाये जाने का अनुमान लगाया जा चुका है जिसके आधार पर एक नये लेड-जिंक-स्मेल्टर की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है। झामरकोटड़ा (उदयपुर) में अब तक 6.50 करोड़ टन राक-फास्फेट के भण्डारों को प्रमाणित किया जा चुका है। निम्न श्रेणी के खनिज के प्रायोगिक रूप से परिष्करण हेतु 200 टन प्रतिदिन क्षमता का एक संयंत्र स्थापित किया गया है।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा माण्डो की पाल (डूंगरपुर) में 15 टन प्रतिदिन क्षमता का फ्लोर्सपार शोधन संयंत्र लगाने तथा वर्धा (डूंगरपुर) में 30 टन प्रतिदिन की क्षमता के संयंत्र की क्षमता दुगुनी करने का निर्णय लिया गया है।

पंचायत राज को सुदृढ़ व सफल करने हेतु ग्रामीण विकास की कई महत्वपूर्ण योजनायें पंचायत समितियों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जाने वाले वे समस्त कल्याण एवं विस्तार कार्यक्रम, जिनकी प्रभावी देख-रेख उन तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जा सकती है जो पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध हैं या उपलब्ध कराये जा सकते हैं, पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दिए जायेंगे व जिन कार्यक्रमों का क्षेत्र एक से अधिक पंचायत समितियों में है तथा जिनका निष्पादन अन्य स्वायत्तशासी अभिकरणों द्वारा किया जाना हो उनकी भी समीक्षा पंचायत समिति स्तर पर की जाएगी।

राजस्व सम्बन्धी अनेक मामलों का मौके पर निपटारा करने की दृष्टि से इस वर्ष एक राजस्व अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में 5,46,152 विभिन्न प्रकार के मामलों में कार्यवाही की गई जिसके अन्तर्गत 35,828 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिए गए व 1,73,145 नामान्तरकरण तस्दीक किए गए। आगामी वर्ष भी इस प्रकार के अभियान को अपेक्षाकृत व्यापक रूप देकर चलाया जाएगा।

राजस्थान के प्रायः सभी शहरों में पिछले कई वर्षों से कृषि तथा अन्य भूमि पर अनधिकृत रूप से मकान बन गये थे और कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन की समस्या काफी समय से चल रही थी। सरकार ने इसकी व्यापकता एवं मानवीय पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष नई रूपान्तरण नीति तय कर दी है और तत्सम्बन्धी नियम भी बना दिए हैं जिन्हें 26 दिसम्बर, 1981 से लागू किया गया है। इससे कृषि भूमि में जो अवैध मकानात आदि निर्मित हो गये हैं उनके नियमन की समस्या काफी हद तक दूर होगी।

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए इस वर्ष 2,700 गांवों में सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, किन्तु इसे बीस संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़ा कर 3,500 गांव कर दिया गया। यह संतोष की बात है कि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

विश्व बैंक की सहायता से राज्य के 3 बड़े नगरों में सिवरेज योजना क्रियान्वित की जा रही है। जयपुर के उत्तरी क्षेत्र की सिवरेज योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस नगर की छोटी सिवर लाइनें एवं दक्षिणी हिस्से में सिवर लाइन डालने का कार्य प्रारम्भिक स्तर पर है। जोधपुर व बीकानेर नगरों में सिवरेज योजना पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त कोटा व उदयपुर में भी सिवरेज योजना पर कार्य चालू है।

वर्ष 1981–82 तक 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया है और 4 हजार से 5 हजार तक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष 1,500 से अधिक आबादी वाले 98 गांव सड़क से जोड़ दिए जायेंगे। इस वर्ष यह भी निर्णय लिया गया कि पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय। 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 88 पंचायत मुख्यावासों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य था। जनवरी माह के अन्त तक इस लक्ष्य से कहीं अधिक, 359 पंचायत मुख्यावास सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर 1,512.50 लाख रुपये राज्य योजना में अग्रिम योजना सहायता के अतिरिक्त व्यय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 719.95 लाख रुपये केन्द्रीय योजनाओं से व्यय किये जायेंगे।

अकाल राहत के अन्तर्गत जो सहायता कार्य चालू किये गये उनमें सड़क निर्माण कार्यों पर सितम्बर, 1981 तक लगभग 45.60 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं और डामर की सड़क 350 कि. मी., मेटल सड़क 1400 कि. मी. व ग्रेवल सड़क 4000 कि.मी. बनवाई गई है और 500 सी. डी. कार्य सम्पन्न हुए हैं। इसी वित्तीय वर्ष में बयाना–बारेठा सड़क पर गम्भीर नदी पर पुल निर्माण कार्य सम्पूर्ण कर आवागमन चालू किया गया है और बयाना–हिण्डौन सड़क पर गम्भीर नदी पर पुल के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। सोम नदी पर पुल (एक्वीडक्ट) निर्माण का कार्य भी निगम द्वारा लिया गया है।

राज्य में प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सेवा सुलभ हो सके इसका निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है। वर्ष 1981-82 में दो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के फलस्वरूप अब राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसी प्रकार राज्य के 11 चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया है व 35 नई डिस्पेंसरीज व 15 नये एडपोस्ट्स भी खोले गये हैं।

जनजाति क्षेत्र में जहां लोग स्वास्थ्य के प्रति पर्याप्त जागरुक नहीं हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा रोगियों के दरवाजे तक पहुंचाने की दिशा में 3 भ्रमणशील डिस्पें-

सरीज उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के लिए स्वीकृत की गई हैं।

राज्य के विकास स्तर को बनाये रखने एवं जीवनस्तर ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में जनसंख्या पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। वर्ष 1981–82 में अब तक लगभग 1,24,280 नसबंदी आपरेशन किये गये जिनमें दूरबीन पद्धति, जो राज्य में बहुत लोकप्रिय हो रही है, द्वारा अब तक किये गये 95,868 महिला नसबंदी भी शामिल हैं।

हैल्थ गाइड योजना के अन्तर्गत लगभग 6 हजार स्वास्थ्य सेवकों को पुनः काम पर लगाया गया है और वर्ष 1982-83 में 2,760 हैल्थ गाइडों का चयन कर प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके साथ-साथ 500 दाइयों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

रोगी तक चिकित्सा पहुंचाने में भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्ष 1980-81 में इस इकाई द्वारा 8,500 ऑपरेशन किये गये थे और लगभग 73 हजार रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इस इकाई के अधीन बन रही सिटी डिस्पेंसरी के पूर्ण हो जाने पर यह इकाई वर्ष भर कार्य करती रहेगी व इससे और अधिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

विशिष्ट रोगों की चिकित्सा हेतु राज्य में व्यवस्था करने के लिए बांगड़ चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके प्रथम चरण में मुख्यतः कार्डियोलोजी, कार्डियोथिरेपी व कार्डियोसर्जरी आदि की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

भारतीय चिकित्सा पद्धति का भी चिकित्सा के क्षेत्र में समुचित उपयोग किया जाता रहा है। यहां भी चिकित्सक को रोगी तक पहुंचाने की प्रक्रिया के अनुसरण में माडा (MADA) योजना के अन्तर्गत 2 चल चिकित्सालय उदयपुर व सवाई माधोपुर में चालू हैं। डूंगरपुर में एक चल चिकित्सालय और चालू किया गया है। 40 विशिष्ट रोग शिविर आयोजित किये गये। जनजाति क्षेत्र में 7 शिविर लगाये जाने हैं। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के तत्वावधान में 4 विशिष्ट बीमारियों के शिविर लगाये जाने हैं एवं एक भ्रमणशील औषधालय की स्थापना की जानी है।

वर्ष 1981-82 में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार किया गया है। 557 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गये तथा 400 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100 ऐच्छिक विषयों एवं वर्गों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो बालक विद्यालयों में पारिवारिक एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं जा पाते उनके शिक्षण हेतु इस वर्ष 200 अनौपचारिक केन्द्र राज्य सरकार ने खोले हैं। 1,200 केन्द्र भारत सरकार ने स्वीकृत किये हैं। वर्तमान में कुल 3,800 अनौपचारिक केन्द्र कार्यरत हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें एवं पोशाक वितरण हेतु 76 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

इससे 3.32 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुये।

राज्य सरकार द्वारा घोषित 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा की गुणात्मकता में वृद्धि हेतु 7,250 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 300 माध्यमिक विद्यालयों व 27 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन कर उनमें फर्नीचर, टाट-पट्टी, शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकालय के लिये पुस्तकें दी जायेंगी। इन विद्यालयों के भवन के सुधार एवं परिवर्द्धन हेतु भी धनराशि स्वीकृत की गई है। 40 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिये राज्य में इस वर्ष 7,000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने हेतु इस वर्ष राजकीय महाविद्यालयों में 22 नये विषय स्नातकोत्तर स्तर पर व 34 नए विषय स्नातक स्तर पर प्रारम्भ किये गये हैं।

तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु कोटा में 90 सीटों की क्षमता का एक नया इंजीनियरिंग कालेज इस वर्ष खोला गया है तथा जयपुर व जोधपुर स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रत्येक में 60-60 सीटों की क्षमता बढ़ाई गई है। महिलाओं को प्राविधिक (टेक्नीकल) शिक्षा की अधिक सुविधायें प्रदान करने हेतु जयपुर में पोलीटेक्नीक भी इस वर्ष प्रारम्भ किया गया है।

इस वर्ष कला, संस्कृति व पुरातत्व के नये विभाग का सृजन किया गया है। राज्य में पुरातत्व एवं संग्रहालय के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। प्राचीन स्थल सुनारी जिला झुंझुनू में उत्खनन से महाभारत कालीन सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। टौंक तथा अजमेर जिलों से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की उपलब्धि व बधाल (जयपुर) से प्रतिहार कालीन 2 ताम्रपत्रों की खोज राजस्थान के प्राचीन इतिहास की खोई हुई कड़ियां प्रस्तुत करती हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं गांवों से शहरों की ओर पलायन से आवासन की विषम समस्या उत्पन्न हो गई है। आवासन की बढ़ती हुई समस्या को हल करने के लिये विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही करना आवश्यक था। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 में 8,265 मकानों को पूरा करने एवं वित्तीय वर्ष 1982-83 में 12,151 मकान बनाये जाने का लक्ष्य है।

नगर विकास न्यास जयपुर ने इस वर्ष 1,450 रिहायशी भू-खण्डों का मालवीय नगर योजना में रियायती दरों पर आवंटन किया है। विद्याधर नगर आवासीय योजना के विकास के लिये भूमि अवाप्त कर ली गई है। इन योजनाओं में भू-खण्डों के आवंटन से नगर की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।

बड़े नगरों के आसपास कच्ची बस्तियों की समस्या का भी समाधान आवश्यक है। इस दिशा में सरकार ने 1 जनवरी, 1981 तक की अवधि में बनी कच्ची बस्तियों के

निवासियों का सर्वेक्षण करवाया जिसके अनुसार पिछले सर्वेक्षण के बाद राज्य में 1 लाख 27 हजार के लगभग नये परिवार और बस गये हैं। इन परिवारों को बसाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के 6 बड़े नगरों- अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में गन्दी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को नल, बिजली, सड़क, नाली आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम चालू है।

पुराने बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में हरेक गरीब ग्रामीण को भू-खण्ड दिया जाना था। इसके अनुसरण में राज्य के बीस संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख भू-खण्ड वितरण का लक्ष्य रखा गया था। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि यह लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। बीस संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण भवन निर्माण के लिये इस वर्ष के दस हजार मकानों के लक्ष्य को बढ़ा कर तीस हजार कर लिया गया है और यह लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में विकलांग कल्याण में राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष 5,000 विकलांगों को कृत्रिम अंग के रूप में सहायता दी जा रही है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। जयपुर के पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी है और इसकी सेवाओं को सभी स्तरों पर सराहना मिली है। इसी के अनुरूप नये पुनर्वास केन्द्र अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और पाली में भी बनाये जा रहे है। इस वर्ष लगभग दो हजार विकलांगों को रोजगार दिया गया है। राजकीय सेवा में विकलांग लोगों के लिये आरक्षण 2 प्रतिशत से बढ़ा कर 3 प्रतिशत तक कर दिया गया है। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा पास किये हुये विकलांग लोगों को रोजगार भत्ता क्रमशः 150 व 250 रुपये माहवार की दर से दिया जा रहा है।

चालू वर्ष में 1 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य था। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, अन्य विविध कृषि तथा औद्योगिक योजनाओं तथा हाथकर्घा, खादी, लघु उद्योग आदि कार्यक्रमों द्वारा इन परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। इस वर्ष के अन्त तक लक्ष्य पूरे हो जाने की पूरी सम्भावना है। इस वर्ष अनुसूचित जाति, जन जाति के तथा पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने का अभियान किया जाकर 60 हजार नए छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई।

इस वर्ष की अनुसूचित जाति संगठन योजना 37.99 करोड़ रुपये की थी। विशेष केन्द्रीय सहायता 5.77 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसके अन्तर्गत जो नई योजना इस वर्ष प्रारम्भ की गई है उसमें रोजगार दिलाने के लिये नये प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष उल्लेखनीय हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्राइसम कार्यक्रम के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्काइट कार्यक्रम लागू किया गया है।

भंगी कष्ट मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 नये छात्रावास इस वर्ष आरम्भ किये जा रहे हैं। यह देश में अपने प्रकार का अभिनव प्रयोग है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास संघ द्वारा ग्लोबल प्रोजेक्ट के तत्वावधान में राज्य में 15 चुनी हुई नगरपालिकाओं में सूखे तहारतों को फ्लश तहारतों में परिवर्तित करने की योजना है। इस वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भीलवाड़ा व मकराना नगरों में कार्य हाथ में लिया गया है। अन्य विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में 10 हजार सूखे तहारतों को फ्लश तहारतों में बदला जा चुका है तथा वर्ष 1982-83 में 5 हजार सूखे तहारतों को फ्लश तहारतों में बदलने का लक्ष्य है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन के रूप में 2.88 लाख बालक-बालिकाओं तथा विशेष पोषाहार कार्यक्रम में छोटे बच्चों तथा गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं के पोषण हेतु 1.34 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 60 हजार बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को पोषाहार सामग्री मुफ्त वितरित की गई।

परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने के क्रम में मार्च, 1981 में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग 3.10 लाख से बढ़ कर दिसम्बर, 1981 में लगभग 3.38 लाख हो गयी है। सड़क दुर्घटना से मरने या घायल होने वाले यात्रियों को अनुग्रह राशि दिये जाने की योजना इसी वर्ष 1 सितम्बर, 1981 से लागू की गई है। यह योजना राज्य की उन सब बसों (स्टेज कैरिजेज) पर लागू हुई है जिनकी बैठक क्षमता 18 से अधिक है तथा किराये पर चलाई जाती हैं। चालू वर्ष में 32 नये मार्ग खोले गये एवं 53 मार्गों के स्कोप एवं लम्बाई में वृद्धि की गई।

राजस्थान में पर्यटन विकास की विपुल सम्भावनाएं हैं। वर्ष 1981–82 में लगभग 28.20 लाख पर्यटकों के आने की सम्भावना है जिनमें 2.20 लाख पर्यटक विदेशी होंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए 5 नये सूचना केन्द्र खोले गये हैं एवं विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां एवं मेले लगाकर संस्कृति के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही पर्यटक विकास की सुविधाएं बढ़ाने के लिए विभिन्न पर्यटक विश्राम गृहों में शैयाओं की संख्या लगभग 1,400 हो गई है। पर्यटकों को नगर दर्शन सेवाएं एवं पैकेज ट्यूर्स के माध्यम से परिवहन की सुविधायें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पर्यटन साहित्य के प्रकाशन में राज्य को पिछले दो वर्षों से निरन्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त होते रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सीमेन्ट, केरोसीन, चीनी एवं खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। डीजल आवश्यकतानुसार प्राप्त हो रहा है और इसकी कोई कमी नहीं है। डीजल की उपलब्धि के कारण कृषि एवं उद्योग दोनों के उत्पादन में काफी सहारा मिला है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लगभग 10 हजार उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं एवं अगले

वर्ष इनमें 2,000 दुकानों की वृद्धि किये जाने का अनुमान है।

स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति भी सरकार ने सम्मान प्रकट करते हुए स्वतन्त्रता सेनानी नियमों के अन्तर्गत राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन कर, जांच प्रक्रिया का सरलीकरण, नियमों में आवश्यक संशोधन व इनकी पेंशन में भी वृद्धि करने के निर्णय लिए हैं। दिनांक 1-1-82 से पेंशन की न्यूनतम राशि 100 रुपये व अधिकतम 200 रुपये तथा चिकित्सा एवं पुत्रियों के विवाह हेतु देय नकद अनुदान की राशि की सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है। सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए पूर्व में स्वतन्त्रता सेनानी की आर्थिक स्थिति का प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधा के अनुरूप स्वतन्त्रता सेनानियों को भी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

यह संतोष की बात है कि प्रदेश में कानून व व्यवस्था निरन्तर सन्तोषप्रद बनी रही। असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही और अधिक कारगर कर अपराधों पर नियंत्रण रखा गया। निरन्तर समीक्षा की प्रणाली अपना कर पुलिस कार्यवाही को और अधिक कुशल बनाया गया व थानों में प्रथम सूचना रिपोर्टों को तत्काल दर्ज करने के लिए कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। फलस्वरूप गत 12 माह में न केवल अपराधों के अन्वेषण में गति लाई गई बल्कि चालान करने के प्रतिशत में भी सुधार हुआ।

देश के कुछ स्थानों में साम्प्रदायिक उपद्रवों के बावजूद, प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा। प्रशासन की सजगता एवं कार्य-कुशलता के फलस्वरूप कोई गम्भीर साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ।

समाज के विभिन्न वर्गों एवं जातियों में स्नेह एवं सद्भाव बना रहे, इसके लिए सरकार निरन्तर जागरूक है। अत्याचार, उत्पीड़न को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन हरिजनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक कारगर कदम उठाये गये हैं जिससे प्रदेश में कोई संगठित अत्याचार के मामले घटित नहीं हुये हैं। राज्य सरकार इस ओर निरन्तर प्रयत्नशील है कि हरिजनों में न केवल सुरक्षा की भावना बढ़े बल्कि उनका जीवन-स्तर भी ऊंचा उठे।

प्रदेश में दस्यु उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास किये गये। प्रदेश में अब कोई संगठित डाकू दल सक्रिय नहीं है। चम्बल के समीपवर्ती जिलों उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के पुलिस दल के सहयोग से दस्यु उन्मूलन अभियान प्रगति पर है। वर्ष 1981 में 40 पुलिस मुठभेड़ें हुईं जिसके परिणामस्वरूप 27 डाकू मारे गये, 355 डाकू गिरफ्तार किये गये एवं 3 डाकुओं ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

राज्य में पुलिस को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए संचार व्यवस्था को वायरलेस के माध्यम से पुष्ट किया जा रहा है। सभी पुलिस स्टेशनों पर एक योजनाबद्ध कार्यक्रम

के अनुसार टेलीफोन एवं वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। अपराधों के अन्वेषण में कम्प्यूटर की सहायता लेने हेतु पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किया जा चुका है और उससे लाभ मिल रहा है पुलिस बल के सदस्यों के लिए बेहतर भोजन व्यवस्था हेतु लांगरियों की व्यवस्था की गई है।

यह सत्र मुख्यतः आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक पर विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया है। परन्तु माननीय सदस्यों को अन्य आवश्यक विधायी कार्य भी करना है। राज्य सरकार द्वारा इस सत्र में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1982, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक, 1982, राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982, राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982, राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982, राजस्थान औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश दिन) विधेयक, 1982, राजस्थान औद्योगिक संस्थान (आकस्मिक अवकाश) विधेयक, 1982, राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1982 राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडेप्टेशन) (संशोधन) विधेयक, 1982, दी रजिस्ट्रेशन (राजस्थान अमेण्डमेंट) विधेयक, 1982, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन और वैधकरण) विधेयक, 1982, राजस्थान सिविल सेवायें (सेवा मामलों के लिए अपील अभिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 एवं राजस्था विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1982 आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

चालू वित्तीय वर्ष में सरकार की मुख्य उपलब्धियों का ही मैंने जिक्र किया है क्योंकि समय सीमा के कारण प्रशासन के सभी कार्य-कलापों के बारे में कहना सम्भव भी नहीं था। अगले वर्ष भी विकास का पथ प्रशस्त करने का सतत् प्रयास जारी रहेगा।

समता पर आधारित समृद्ध एवं सुखी समाज तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए वार्षिक आय-व्ययक द्रुत विकास का वाहन बन सके इसके लिए आप सब माननीय सदस्यगण का सहयोग आवश्यक है। विकास के पुनीत कार्य में, मैं आप सबका तथा जनता के सहयोग एवं भागीदारी का आह्वान करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप इस सदन की गरिमा एवं गौरवशाली परम्पराओं को बनाये रखेंगे।

-: जय हिन्द :-